



छत्तीसगढ़ शासन

जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना

वर्ष – 2020

जिला – बेमेतरा


राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
महानदी भवन, अटल नगर रायपुर, छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री



छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर नवा रायपुर
दिनांक



संदेश

जलवायु परिवर्तन और बदलती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण सम्पूर्ण विश्व में अग्नि दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। अग्नि दुर्घटना चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, ये जन-धन हानि के साथ-साथ विकास प्रक्रिया को भी पीछे धकेल देती हैं। दुर्घटनाओं के कुशल और समन्वित प्रबंधन के लिए ऐसा विकसित और प्रभावी तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे तुरंत राहत और कम से कम नुकसान हो। इस योजना में अग्नि दुर्घटना के कारणों और उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की प्रभावी रणनीतियों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है, जिसके सम्बन्ध में शासन के विभिन्न विभागों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक जागरूकता तथा समन्वय की आवश्यकता है।


यह अत्यंत हर्ष की बात है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग (राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) एवं सहायक विभागों के साथ मिलकर "जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना 2020" तैयार की है। इस योजना में राज्य के अंतर्गत अग्नि दुर्घटना से सुरक्षा की लगभग सभी संभावित जानकारी, उससे बचाव की रूपरेखा और अग्नि दुर्घटना को रोकने के उपायों के साथ-साथ अग्नि दुर्घटना के घटित हो जाने पर आकस्मिक सहायता, क्षमता संवर्धन, पुनर्वास कार्यक्रमों, सामान्य वातावरण की बहाली और पुनर्निर्माण कार्यों का विवरण इत्यादि को शामिल किया गया है। ऐसी उम्मीद है कि अन्य विभाग भी इसी प्रकार अपने निर्धारित विभागीय दायित्वों के निर्वहन के लिए अपनी विभागीय योजनायें शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे।

यह योजना व्यवहारिक उपायों और जन-भागीदारी के मजबूत इरादों के साथ जिलों को "अग्नि दुर्घटना" से भयमुक्त एवं असुरक्षा की भावना को कम करने में सक्षम सिद्ध होगी।

"जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना 2020" का प्रकाशन अपने उद्देश्यों में सफल हो, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।


(भूपेश बघेल)

जयसिंह अग्रवाल
मंत्री



छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर नवा रायपुर
दिनांक

संदेश

“जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना 2020” छत्तीसगढ़ सरकार की एक नवीन पहल है। इस योजना का लक्ष्य जिलों में घटित होने वाली संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से होने वाले व्यापक हानि को कम करना है। यह योजना अपने दायरे में व्यापक है और यह प्रशासन के सभी वर्गों को विस्तृत निर्देश देता है।

पिछले कुछ वर्षों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन राज्य एवं सभी जिलों के लिए एक चुनौती बन गया है। ऐसी महाविनाशकारी स्थिति से निपटना एक कठिन कार्य है। जिसमें विभिन्न प्रकार से कार्य निष्पादन, जोखिम आंकलन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण, पर्याप्त आधारभूत संरचना हेतु अग्नि सुरक्षा का क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा की तैयारी, प्राकृतिक संसाधनों का चिरस्थायी प्रबंधन तथा नीति बनाना अहम् कार्य है।

चूँकि अग्नि सुरक्षा योजना एक स्थायी प्रक्रिया है। इस परिपेक्ष्य में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और सहायक विभागों द्वारा जिला अग्नि सुरक्षा योजना तैयार किया जाना राज्य के जिलों को अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

मैं, विभाग के इस सराहनीय पहल का स्वागत करता हूँ मुझे विश्वास है कि “जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना 2020” जिलों के नागरिकों के लिये अग्नि दुर्घटनाओं से बचाव तथा क्षमता में वृद्धि करने में सफल होगी।

(जयसिंह अग्रवाल)

रीता शांडिल्य
सचिव



छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन
अटल नगर नवा रायपुर
दिनांक

संदेश

अग्नि दुर्घटना ऐसी आपदा है जो वर्षों से किये गए कार्यों को निरर्थक कर देती है। अतः दुर्घटना से रोक थाम के प्रयास जैसे अल्प समय में – तैयारी, प्रशिक्षण, क्षमता-वर्धन और पुनर्निर्माण से जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

जन सामान्य के अंतर्गत अत्यंत संवेदनशील वर्ग जैसे – बच्चे, बुजुर्ग, महिलायें, दिव्यांगजन एवं श्रमिक वर्ग पर अग्नि दुर्घटना के प्रभाव को कम करने हेतु जन भागीदारी, जन-जागरूकता, त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय बढ़ाने के लिए "जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना 2020" तैयार की गई है, जो एक प्रशंसनीय कार्य है।

"जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना 2020" के माध्यम से राज्य के जिलों में एक ऐसा तंत्र विकसित होगा जो भविष्य में जिले में घटित होने वाली किसी भी अग्नि दुर्घटना से निपटने में कारगर होगा।

R. Shankhly
(रीता शांडिल्य)

आभारोक्ति

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन सभी सहभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करने में अपना योगदान दिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिशा-निर्देश के अनुसार इस योजना को तैयार किया गया है, जिससे इसे जनोपयोगी बनाया जा सके।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसका प्रमुख लाभ 'समुदाय' को पहुंचेगा, जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना के लिए विभागानुसार ढांचा तैयार किया गया है। जिसमें प्रत्येक की भूमिका का निर्धारण किया गया है, जिससे आपदा से पूर्व और आपदा के बाद सही तरीके से आपसी समन्वय, तैयारी एवं उचित कार्यवाही सुनिश्चित किया जा सके।

सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव, श्री के. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव एवं श्री ए. के. पिल्लई, अधीक्षक, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेष सहयोग रहा।

जिला आपदा अग्नि सुरक्षा प्रबंधन योजना का वास्तविक ढांचा तैयार करने में आपदा प्रबंधन सलाहकार श्री दिलीप सिंह राठौर, श्रीमती चेतना, सुश्री जया साहू, श्री जीतेन्द्र सोलंकी, श्री एस. श्रीजीत एवं श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय का विशेष योगदान है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के जिला प्रभारी अधिकारी एवं सम्बंधित विभागों के अधिकारियों का योजना हेतु दस्तावेज तैयार कराने में भरपूर योगदान रहा।

Abbreviation:-

| | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| BSNL | Bharat Sanchar Nigam Limited | भारत संचार निगम लिमिटेड |
| CAF | Central Armed Forces | केन्द्रीय सुरक्षा बल |
| CBO | Community Based Organizations | सामुदायिक संगठन |
| CE | Chief Engineer | मुख्य अभियंता |
| CEO | Chief Executive Officer | मुख्य कार्यपालक अधिकारी |
| CMO | Chief Medical Officer | मुख्य चिकित्सा अधिकारी |
| CMRF | Chief Minister Relief Fund | मुख्य मंत्री राहत कोष |
| CSO | Civil Society Organization | नगर संस्था |
| DM-ACT | Disaster Management Act 2005 | आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 |
| DDMA | District Disaster Management Authority | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| DDMP | District Disaster Management Plan | जिला आपदा प्रबंधन योजना |
| DDRF | District Disaster Response Force | जिला आपदा प्रत्युत्तर बल |
| DM | District Magistrate | जिला कलेक्टर |
| DMT | Disaster Management Team | आपदा प्रबंधन दल |
| DRR | Disaster Risk Reduction | आपदा जोखिम न्यूनीकरण |
| EOC | Emergency Operation Center | आपातकालीन परिचालन केन्द्र |
| ESF | Essential Service Functions | आवश्यक सेवा कार्य |
| EWS | Early Warning System | पूर्व चेतावनी प्रणाली |
| FRT | First Response Team | प्रथम प्रत्युत्तर टीम |
| GIS | Geographic Information System | भौगोलिक सूचना प्रणाली |
| GP | Gram Panchayat | ग्राम पंचायत |
| GPS | Global Position System | स्थिति निर्धारण वैश्विक प्रणाली |
| HFA | Hyogo Framework for Action | हयोगो कार्यवाही रूपरेखा |
| HRVCA | Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis | खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण |
| HVCA | Hazard Vulnerability Capacity Analysis | खतरा, संवेदनशीलता (भेद्यता) क्षमता विश्लेषण |
| IAF | Indian Armed Force | भारतीय सशस्त्र बल |
| IAG | Inter-Agency Group | इन्टर एजेंसी ग्रुप |
| IAP | Immediate Action Plan | तात्कालीन कार्य योजना |
| ICDS | Integrated Child Development Services | समेकित बाल विकास सेवायें |
| IMD | Indian Meteorological Department | भारतीय मौसम विज्ञान विभाग |
| IMT | Incident Management Teams | घटना (आपदा) प्रबंधन टीम |
| IRS | Incident Response System | घटना (आपदा)प्रत्युत्तर प्रणाली |
| IRT | Incident Response Team | घटना (आपदा)प्रत्युत्तर टीम |
| IAY | Indira Awas Yojna | इंदिरा आवास योजना |
| LSG | Lower Selection Grade | निम्न प्रवर कोटि |
| MGNREG S | Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme | महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना |

| | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MI&CT | Ministry of Information & Communication Technology | सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
| MLA | Member of Legislative Assembly | विधान सभा सदस्य |
| MNREGA | Mahatma Gandhi National Rural and Education Guarantee Action | महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी अधिनियम |
| MoAFW | Ministry of Agriculture and Farmers Welfare | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| MoCI | Ministry of Commerce and Industry | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय |
| MoEF&CC | Ministry of Environment forest Climet change | पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
| MoHFW | Ministry of Health & Family Welfare | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
| MHA | Ministry of Home Affairs | गृह मंत्रालय |
| MoHRD | Ministry of Human Resources Development | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| MoL&E | Ministry of Labour & Employment | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
| Mop | Ministry of Power | विद्युत मंत्रालय |
| MoPR | Ministry of Panchayati Raj | पंचायती राज मंत्रालय |
| MoRD | Ministry of Rural Development | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
| MoRTH | Ministry of Road Transport and Highway | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
| MoWF | Ministry of Water Resources | जल संसाधन मंत्रालय |
| MoUD | Ministry of Urban Development | शहरी विकास मंत्रालय |
| MP | Member of Parliament | संसद सदस्य |
| MPLADS | Member of Parliament Local Area Development Schemes | सांसद क्षेत्रीय विकास योजना |
| NABARD | National Bank for Agriculture and Rural Development | राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक |
| NCC | National Cadet Corps | राष्ट्रीय छात्र सेना |
| NDMA | National Disaster Management Authority | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| NDRF | National Disaster Response Force/ Relief Fund | राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष |
| NIDM | National Institute of Disaster Management | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान |
| NGOs | Non- Government Organizations | गैर-सरकारी संगठन |
| NRSC | National Remote Sensing Center | राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र |
| NREGA | National Rural Employment Guarantee Act | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम |
| NREGS | National Rural Employment Guarantee Scheme | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना |
| NRHM | National Rural Health Mission | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन |
| NSV | National Service Volunteer | राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक |
| NYK | Nehru Yuva Kendra | नेहरू युवा केन्द्र |
| PDS | Public Distribution Shop | जनवितरण दुकानें |
| PHC | Primary Health Center | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र |
| PHED | Public Health Engineering Department | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग |
| PMRF | Prime Minister Relief Fund | प्रधानमंत्री राहत कोष |
| PWD | Public Works Department | लोक निर्माण विभाग |

| | | |
|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Q&A | Quality and Accountability | गुणवत्ता एवं जवाबदारी |
| QRT | Quick Response Team | त्वरित प्रत्युत्तर टीम |
| SDMA | State Disaster Management Authority | राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण |
| SDMP | State Disaster Management Plan | राज्य आपदा प्रबंधन योजना |
| SDRF | State Disaster Response Force/ Relief Fund | राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल/ राहत कोष |
| SHG | Self Help Group | स्वयं सहायता समूह |
| SME | Small and Medium Enterprise | लघु एवं मध्यम उद्योग / उपक्रम |
| SOP | Standard Operating Procedure | मानक परिचालन पद्धति |
| SP | Superintendent of Police | पुलिस अधीक्षक |
| WRD | Water Resources Department | जल संसाधन विभाग |
| WHO | World Health Organisation | विश्व स्वास्थ्य संगठन |

| क्रं. | विषय | पेज संख्या |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | पृष्ठभूमि | 1-7 |
| 1.1 | जिला अग्नि सुरक्षा योजना | 2 |
| 1.2 | योजना की आवश्यकता | 2 |
| 1.3 | जिला अग्नि सुरक्षा योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य | 2 |
| 1.4 | योजना का क्षेत्र | 2-3 |
| 1.5 | हित धारक एवं जिम्मेदारियाँ | 3 |
| 1.6 | जिले का संक्षिप्त परिचय | 4 |
| 2 | जिले में अग्नि दुर्घटना की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन | 5-20 |
| 2.1 | संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की पहचान | 6-12 |
| 2.1.1 | शहरी आग | 6-8 |
| 2.1.2 | ग्रामीण क्षेत्रों की आग | 9-10 |
| 2.1.3 | औद्योगिक क्षेत्रों की आग | 11 |
| 2.1.4 | जंगल की आग | 11-12 |
| 2.2 | खतरों का मौसम | 13-14 |
| 2.3 | बेमेतरा में अग्नि की घटनाएं | 15 |
| 2.4 | भेद्यता विश्लेषण | 15-18 |
| 2.4.1 | स्वरचनात्मक भेद्यता | 15-17 |
| 2.4.2 | आर्थिक भेद्यता | 17 |
| 2.4.3 | पर्यावरणीय भेद्यता | 18 |
| 2.5 | क्षमता विश्लेषण | 18-19 |
| 2.5.1 | मानव संसाधन | 18 |
| 2.5.2 | उपकरण | 19 |
| 2.6 | जल संसाधन | 20 |
| 3 | संस्थागत व्यवस्था | 21-24 |
| 3.1 | जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण | 21 |
| 3.2 | जिला अग्नि-शमन सेवा एवं जिला सेनानी | 21 |
| 3.3 | तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति एवं अग्नि शमन सेवा | 21 |
| 3.4 | ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति | 22 |
| 3.5 | जिला आपातकालीन संचालन केंद्र | 22-24 |
| 3.5.1 | सुविधाएं/व्यवस्थाएं जिला नियंत्रण कक्ष/केन्द्र | 23-24 |
| 3.5.2 | वैकल्पिक नियंत्रण कक्ष | 24 |

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | रोकथाम और न्युनीकरण के उपाय | 25-26 |
| 4.1 | खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय | 25 |
| 4.2 | खतरा: आग | 25-26 |
| 5 | पूर्व-निर्धारित तैयारियों एवं उपाय | 27-31 |
| 5.1 | सामान्य तैयारियों एवं उपाय | 27 |
| 5.1.1 | घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस) | 27 |
| 5.2 | नियंत्रण कक्ष की स्थापना | 28 |
| 5.3 | पूर्व आपदा स्थिति में अग्नि सुरक्षा की समन्वय प्रक्रिया | 29 |
| 5.4 | तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया (पूर्व चेतावनी प्रणाली के पश्चात तत्काल प्रक्रिया) | 30 |
| 5.5 | अग्नि आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली) | 31 |
| 5.6 | अग्नि आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र | 31 |
| 6 | क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय | 32-36 |
| 6.1 | क्षमता निर्माण | 32 |
| 6.2 | संस्थागत अग्निक्षमता निर्माण | 32-33 |
| 6.3 | भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) | 33 |
| 6.4 | भूमिका एवं जिम्मेदारियां | 33-35 |
| 6.5 | प्रशिक्षण और प्रशिक्षण प्रावधान | 35-36 |
| 6.5.1 | अग्नि सुरक्षा दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण | 36 |
| 6.6 | सामुदायिक आधारित अग्नि आपदा प्रबंधन | 36 |
| 7 | अग्नि सुरक्षा के राहत उपाय एवं प्रतिक्रिया | 37-40 |
| 7.1 | राहत व प्रतिक्रिया के चरण | 37-40 |
| 7.1.1 | अग्नि दुर्घटना से पूर्व | 37-38 |
| 7.1.2 | अग्नि दुर्घटना के दौरान राहत व प्रतिक्रिया | 38 |
| 7.1.3 | जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रतिक्रिया के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन | 38-40 |
| 7.1.4 | अग्नि दुर्घटना के पश्चात राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति | 40 |
| 8 | पुनर्निर्माण और पुनर्वास के उपाय | 41-43 |
| 8.1 | पुनर्निर्माण और पुनर्वास | 41 |
| 8.2 | रिकवरी गतिविधियां | 41-42 |
| 8.2.1 | अल्पकालिक रिकवरी | 41 |
| 8.2.2 | दीर्घकालिक रिकवरी | 42 |
| 8.3 | पुनर्गठन (समुत्थान) | 42-43 |

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 9 | अग्नि दुर्घटनां योजना हेतु वित्तीय संसाधन | 44-46 |
| 9.1 | केंद्र और राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता | 44 |
| 9.2 | क्षमता वर्धन के लिए फंड | 44 |
| 9.3 | राज्य द्वारा अन्य फंडिंग व्यवस्थाएं | 44 |
| 9.4 | बाह्य फंडिंग व्यवस्थाएं | 45 |
| 9.5 | वित्तीय प्रावधान | 45 |
| 9.6 | आपदा राहत निधि | 45 |
| 9.7 | राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि | 45 |
| 9.8 | राज्य आपदा मोचन निधि | 45 |
| 9.9 | वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान | 46 |
| 9.9.1 | जिले के वित्तीय संसाधन | 46 |
| 10 | अग्नि सुरक्षा योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अद्यतीकरण | 47-48 |
| 10.1 | योजना का मूल्यांकन | 47 |
| 10.2 | योजना को बनाए रखने और समीक्षा, निरीक्षण व अद्यतीकरणका दायित्व | 47-48 |
| 10.3 | मीडिया प्रबंधन | 48 |
| 11 | क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र | 49 |
| 11.1 | पड़ोसी जिलों के साथ समन्वय | 49 |
| 12 | मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चैकलिस्ट | 50- |
| 12.1 | मानक संचालन कार्यप्रणाली | 50 |
| 12.2 | अग्नि दुर्घटनाओं के लिए सावधानी पूर्वक उपाय एवं चैकलिस्ट | 51 |
| 12.3 | विभिन्न लाइन विभागों के लिए तैयार चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.) | 52-56 |
| 12.4 | आपातकालीन प्रतिक्रिया संसाधन | 56 |
| 12.5 | केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता | 57-58 |

| क्रं. | तालिका | पेज संख्या |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | तालिका 1: नगरीय क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की ऐतिहासिक जानकारी | 8 |
| 2 | तालिका 2: ग्रामीण क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की ऐतिहासिक जानकारी | 10 |
| 3 | तालिका 3: जंगल की आग दुर्घटना की ऐतिहासिक घटित जानकारी | 11-12 |
| 4 | तालिका 4: खतरों का मौसम | 13 |
| 5 | तालिका 5: तहसील के अनुसार सम्पूर्ण अग्नि दुर्घटनाओं के विश्लेषण | 13 |
| 6 | तालिका 6: जिले में संभावित आग जोखिम का विवरण | 16 |

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 7 | तालिका 7: भवनों का वर्गीकरण | 16-17 |
| 8 | तालिका 8: संसाधन सूची | 19 |
| 9 | तालिका 9: ग्रीष्म काल के दौरान अग्नि-शमन एवं आपातकालीन | 20 |
| 10 | तालिका 10: आग के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय | 25-26 |
| 11 | तालिका 11: आग के खतरे के लिए गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय | 26 |
| 12 | तालिका 12: पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया | 29 |
| 13 | तालिका 13: तत्काल पूर्व आपदा में डीडीएम के समन्वय तंत्र (प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने के तुरंत बाद) | 30 |
| 14 | तालिका 14: आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली) | 31 |
| 15 | तालिका 15: अग्नि आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र | 31 |
| 16 | तालिका 16: प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ | 33-35 |
| 17 | तालिका 17: राहत व प्रतिक्रिया के चरण | 37 |
| 18 | तालिका 18: IRTF के विभिन्न चरण | 40 |
| 19 | तालिका 19: पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग/अधिकारी | 42 |
| 20 | तालिका 20 : तहसील अनुसार निकटस्थ जिले एवं राज्य जहां से सहायता ली जा सकती | 49 |
| 21 | तालिका 21: विभिन्न लाइन विभागों के लिए चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.) | 52-56 |
| 22 | तालिका 22: केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता | 57-58 |
| 23 | तालिका 23: राज्य स्तर पर अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों का विवरण | 58 |
| 24 | तालिका 24: जिला स्तर पर अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों का विवरण | 59 |
| 25 | तालिका 25: तहसील स्तर पर अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों | 60 |
| 26 | तालिका 26: अग्नि-शमन एवं आपातकालीन नियंत्रण सेवाएँ-नगर पालिका/नगर पंचायत | 60 |
| 27 | तालिका 27: जिलों के संचालित उद्योगों में उपलब्ध अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सहायता सेवाओं की सूची | 61-68 |
| 28 | तालिका 28: अग्नि-शमन विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित होम गार्ड | 69 |

| क्रं. | मानचित्र चित्र | पेज संख्या |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | मानचित्र 1: बेमेतरा जिले का मानचित्र | 4 |
| 2 | मानचित्र 2: शहर की आग से प्रभावित तहसील का मानचित्र | 7 |
| 3 | मानचित्र 3: ग्रामीण क्षेत्रों की आग से प्रभावित तहसील | 9 |
| 4 | मानचित्र 4: तहसील के अनुसार सम्पूर्ण अग्नि दुर्घटनाओं के विश्लेषण का मानचित्र | 14 |

| क्रं. | लेखाचित्र | पेज संख्या |
|-------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | लेखाचित्र 1: नगरीय क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की संख्या | 8 |
| 2 | लेखाचित्र 2: ग्रामीण क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की संख्या | 10 |
| 3 | लेखाचित्र 3: जंगल की अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या | 12 |

| क्रं. | प्रवाहचित्र | पेज संख्या |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | प्रवाह चित्र 1: अग्नि-शमन सेवाओं हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा | 22 |
| 2 | प्रवाह चित्र 2: अग्नि दुर्घटनाओं के समय सूचना का प्रवाह तंत्र | 23 |
| 3 | प्रवाह चित्र 3: घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस) | 27 |
| 4 | प्रवाह चित्र 4: नियंत्रण कक्ष की तैयारी | 28 |
| 5 | प्रवाह चित्र 5: जिले की प्रस्तावित अग्नि दुर्घटना से पूर्व चेतावनी प्रणाली | 38 |
| 6 | प्रवाह चित्र 6: प्रशासनिक रिस्पांस प्रणाली के विभिन्न चरण | 39 |
| 7 | प्रवाह चित्र 7: अग्नि दुर्घटना क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र | 49 |

परिचय

1. पृष्ठभूमि

अग्नि दुर्घटना, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों का परिणाम है, यह एक समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान को उत्पन्न करती है, जिससे मानव, भौतिक या पर्यावरणीय व्यापक हानि होती है। जिसका सामना करने के लिए उपलब्ध सामाजिक तथा आर्थिक संरक्षण कार्यविधियां अपर्याप्त होती हैं। मजबूत संचार, कुशल डेटाबेस, दस्तावेज और अभ्यास के साथ एक प्रभावी जिला अग्नि सुरक्षा योजना सबसे कम संभव समय में सक्रिय होने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी स्तरों पर सरकार के साथ-साथ समुदाय की सक्रिय भागीदारी से उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करके जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करता है। जिला अग्नि सुरक्षा योजना का लक्ष्य बेमेतरा जिले में घटित होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं से प्रभावी रूप से निपटना एवं जनमानस की सुरक्षा करना है।

अग्नि दुर्घटना का वर्गीकरण

उत्पत्ति के अनुसार अग्नि सुरक्षा को निम्नलिखित विभिन्न प्रकारों के रूप में देखा जा सकता है :

- A प्रकार की आग –** इसमें लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को सम्मिलित किया जाता है।
- B प्रकार की आग –** इसमें तरल पदार्थ को सम्मिलित किया जाता है, इसके अंतर्गत डीजल,पेट्रोल, केरोसिन तरल पदार्थ आते हैं।
- C प्रकार की आग –** इसमें गैसों को सम्मिलित किया जाता है जैसे एल.पी.जी आदि।
- D प्रकार की आग –** इसमें मेटल्स आदि को सम्मिलित किया जाता है, इस प्रकार की अग्नि दुर्घटना बड़े उद्योगों में घटित होती है।
- E प्रकार की आग –** इसमें विद्युत उपकरणों में आदि में घटित अग्नि दुर्घटना को सम्मिलित किया जाता है।

1.1 जिला अग्नि सुरक्षा योजना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 (डीएम अधिनियम) के अनुसार, राज्य के हर जिले के लिए एक अग्नि सुरक्षा योजना होगी। प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय और राज्य योजनाओं के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों के परामर्श से अग्नि सुरक्षा योजना की तैयारी, कार्य, समीक्षा और अद्यतन के लिए जिम्मेदार होगा।

1.2 योजना की आवश्यकता

बेमेतरा जिला विशेष रूप से एक औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्र भी है, यंहा पर ब्रह्म उद्योग के अलावा ऐसी औद्योगिक इकाईया संचालित होती है जिनमें आये दिन आग जनित दुर्घटनायें घटित होती है। जिले में आग जनित दुर्घटनाओ के खतरों को ध्यान में रखते हुए एवं उसके प्रभाव को कम करने के लिये एक ऐसी योजना विकसित करने को महत्वपूर्ण समझा गया जो जिला की प्रतिक्रिया में सुधार करता है तथा अग्नि दुर्घटना के जोखिमों को कम करने और तैयार योजना को लागू करके समुदाय की क्षमता में वृद्धि करता है।

1.3 जिला अग्नि सुरक्षा योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य

- i. जिले में अग्नि दुर्घटना के खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को सुनिश्चित करना
- ii. आपदा न्यूनीकरण के विभिन्न पहलुओं क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- iii. जिले में पूर्व में घटित अग्नि दुर्घटनाओ का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- iv. अग्नि दुर्घटनाओ के समय आपदा प्रबंधन, विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वन करना।

1.4 योजना का क्षेत्र

सरकार, उद्योग और जनसमुदाय पर अग्नि दुर्घटना के प्रभाव को देखते हुए किसी भी जिले के लिए आपातकालीन योजना प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना का दायरा व्यापक होगा जो की निम्नलिखित है :-

- जिलो में अग्नि दुर्घटना के खतरों के प्रति संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र,
- विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां,


1.5 हित धारक एवं जिम्मेदारियाँ

राज्यस्तर – राज्यस्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य अग्निशमन सेवा एक महत्वपूर्ण संस्था है। जो किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना से निपटने में सक्षम है। सभी राज्य शासन के मुख्य लाइन विभाग एवं आपातकालीन सहायता कार्य संचालन करने वाली एजेंसी, आपदा के समय राज्य आपातकालीन ई.ओ.सी. से सहायता प्रदान करती है।

जिलास्तर – जिलास्तर पर अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एवं जन समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला सेनानी एवं नागरिक सुरक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण संस्था है। जिला कलेक्टर प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं, जो अग्नि दुर्घटना के समय जिलास्तर के विभिन्न विभागों को आपदा से निपटने के लिए निर्देशित कर सकते हैं। जिला अग्नि सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन की तैयारी, प्रशिक्षण, में समुदाय एवं गैर सरकारी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

1.6 जिले का संक्षिप्त परिचय

बेमेतरा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक नवीन गठित जिला है जिसका गठन 1 जनवरी 2012 को दुर्ग जिले के विभाजन के पश्चात हुआ है। यह दुर्ग जिले के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह अक्षांश 21 डिग्री 22 'से 22 डिग्री 03' एन और देशांतर 81 डिग्री 07 'से 81 डिग्री 55 ई में स्थित है। जिले के कुल क्षेत्रफल 2854.81 वर्ग कि.मी. और जिले की कुल जनसंख्या लगभग 795759 है। यह पूर्व में बलोदाबाजार जिले, पश्चिम में राजनंदगांव, उत्तर में मुंगेली, दक्षिण में दुर्ग, उत्तर-पश्चिम में कबीरधाम और दक्षिण-पूर्व में रायपुर से घिरा हुआ है।



मानचित्र 1: बेमेतरा जिले का मानचित्र

2. जिले में अग्नि दुर्घटना की संवेदनशीलता, क्षमता व जोखिम का आंकलन

अग्नि दुर्घटना मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इस दुर्घटना के कारण आर्थिक क्षति तो होती है साथ में मानसिक क्षति भी उत्पन्न होती है, जंगलो में घटित होने वाली अग्नि दुर्घटना के कारण सर्वत्र विनाश का दृश्य उत्पन्न हो जाता है एवं इस दुर्घटना के कारण जंगलो की जैव-विविधता भी प्रभावित होती है, जिसे पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। दूसरी तरफ औद्योगिक अग्नि दुर्घटना के कारण कभी कभी बड़े पैमाने पर जान-मौल का नुकसान हो जाता है।

वर्तमान समय में बढ़ते शहरीकरण के कारण अग्नि दुर्घटनाओं की संख्याओं में लगातार वृद्धि हुई है।

अग्नि दुर्घटना

$$\text{Risk} = \frac{\text{Hazard (H)} \times \text{Vulnerability (V)} \times \text{Exposure (E)}}{\text{Capacity to Cope (C)}}$$

Hazard (खतरा) – खतरा ऐसी स्थिति है जिससे जीवन, स्वास्थ्य, पर्यावरण या संपत्ति के नुकसान की आशंका होती है। यह प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना हो सकती हैं, जिसे रोका नहीं जा सकता है। यह राज्य व जिले में जीवन एवं संपत्ति का भारी नुकसान करता है।

Vulnerability (भेद्यता) – खतरे वाले इलाकों या आपदा प्रवण क्षेत्रों के लिए उनकी प्रकृति, निर्माण और निकटता के कारण, किस हद तक एक समुदाय, संरचना, सेवा या भौगोलिक क्षेत्र को विशेष खतरे के प्रभाव से क्षतिग्रस्त या बाधित होने की संभावना है।

Risk (जोखिम) – खतरे की घटना होने पर जोखिम किसी समुदाय का अपेक्षित नुकसान होता है। इसमें जीवन की हानि, व्यक्तियों को चोट, संपत्ति का नुकसान और/या आर्थिक गतिविधियों और आजीविका में व्यवधान शामिल हो सकता है।

Capacity(क्षमता) – प्रतिकूल स्थिति, जोखिम या आपदा का प्रबंधन करने के लिए उपलब्ध कौशल और संसाधनों का उपयोग करके लोगों की योग्यता, संगठन और प्रणालियों की योग्यता बढ़ाना ही क्षमता है। किसी स्थिति से सामना करने के लिए सामान्य समय के साथ-साथ आपदाओं या प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान लगातार जागरूकता, संसाधनों का प्रबंधन क्षमता के विकास के लिए आवश्यक होती है।

Exposure (अनावृत्ति) – खतरनाक क्षेत्रों में स्थित लोगों, संपत्ति, बुनयादी ढांचे, आवास, उत्पादन क्षमताएं, आजीविका, प्रणालियां व अन्य तत्वों की मौजूदगी और संख्या को अनावृत्ति के रूप में जाना जाता है।

2.1 संभावित अग्नि दुर्घटनाओं की पहचान

बेमेतरा जिले में अग्नि दुर्घटनाओं व इसके जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा जिला अग्नि सुरक्षा योजना पर जिले में बैठक आयोजित कर अग्नि दुर्घटना से प्रभावित होने वाले लोग तथा इस विपदा से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया जायेगा।

आग

- ❖ अग्नि दुर्घटना जिले के लिए एक खतरनाक खतरा है, पिछले पांच वर्षों के अग्नि दुर्घटना के आकड़ों का अध्ययन किया जाये तो, जिले में शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्र में लगातार अग्नि दुर्घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है।


2.1.1 शहरी आग

2.1.2 ग्रामीण क्षेत्रों की आग

2.1.3 औद्योगिक क्षेत्रों की आग

2.1.4 जंगल से सम्बंधित आग

2.1.1 शहरी आग - शहरी क्षेत्रों की आग में शामिल है, विकसित क्षेत्रों में अनियंत्रित रूप से आग लगना, इस तरह की घटनाये बड़े पैमाने शहरी क्षेत्रों में जन-समुदाय को प्रभावित करती है एवं समाज को वित्तीय नुकसान भी हो सकता है।



मानचित्र 2 : शहर की आग से प्रभावित तहसील

बेमेतरा के प्रमुख शहरी में घटित हुयी अग्नि दुर्घटनाओं का अध्ययन पिछले पांच वर्ष के आधार पर किया गया है।


| नगरीय क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की ऐतिहासिक जानकारी | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|--------------|------|--------------------|------------------------------------------|
| क्र. | अग्नि दुर्घटना | घटना का वर्ष | जिला | घटना स्थल (शहरी क्षेत्र) | स्थान का प्रकार (वाणिज्यिक, आवासीय, सार्वजनिक आदि) | अग्नि दुर्घटना के कारण (दोषपूर्ण विद्युत प्रणाली, ज्वलनशील पदार्थ आदि) | अग्नि दुर्घटना की संख्या | मकान क्षति | | प्रभावित लोग | | निकटतम फायर स्टेशन | आग दुर्घटना पर नियंत्रण कैसे किया गया |
| | | | | | | | | पूर्णतः | आंशिक | मृत्यु | घायल | | |
| 1 | नगरीय अग्नि दुर्घटना | 2014 | बेमेतरा | सर्व नगरीय निकाय | - | दोषपूर्ण विद्युत प्रणाली, ज्वलनशील पदार्थ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | सर्व नगरीय निकाय | निकाय में उपलब्ध अग्नि शमन के माध्यम से। |
| | | 2015 | | | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | |
| | | 2016 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2017 | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 2018 | | | | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| | | 2019 | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |

तालिका 1 – नगरीय क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की ऐतिहासिक जानकारी



लेखाचित्र 1. नगरीय क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की संख्या

2.1.2 ग्रामीण क्षेत्रों की आग



मानचित्र 3 : ग्रामीण क्षेत्रों की आग से प्रभावित तहसील

| ग्रामीण क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की ऐतिहासिक जानकारी | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| क्र. | अग्नि दुर्घटना | घटना का वर्ष | जिला | घटना स्थल (तहसील ग्रामीण क्षेत्र) | स्थान का प्रकार (वाणिज्यिक, आवासीय, सार्वजनिक आदि) | अग्नि दुर्घटना के कारण (दोषपूर्ण विद्युत प्रणाली, ज्वलनशील पदार्थ आदि) | अग्नि दुर्घटना की संख्या | मकान क्षति | | प्रभावित लोग | | निकटतम फायर स्टेशन | आग दुर्घटना पर नियंत्रण कैसे किया गया |
| | | | | | | | | पूर्णतः | आंशिक | मृत्यु | घायल | | |
| 1 | ग्रामीण अग्नि दुर्घटना | 2014 | बेमेतरा | बेमेतरा, बेरला, साजा, नवागढ़, थानखम्हरिया | - | विद्युत प्रणाली, ज्वलनशील पदार्थ | 28 | 4 | 13 | 11 | 0 | न.पा.प. -बेमेतरा, नगर पंचा. बेरला, साजा, नवागढ़, थानखम्हरिया, मारो, देवकर, परपोड़ी | फायर ब्रिगेड द्वारा |
| | | 2015 | | | | | 53 | 14 | 32 | 8 | 0 | | |
| | | 2016 | | | | | 35 | 3 | 28 | 8 | 0 | | |
| | | 2017 | | | | | 59 | 1 | 39 | 16 | 0 | | |
| | | 2018 | | | | | 65 | 8 | 29 | 15 | 0 | | |
| | | 2019 | | | | | 34 | 4 | 22 | 9 | 0 | | |

तालिका 2 – ग्रामीण क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की ऐतिहासिक जानकारी



लेखाचित्र 2. ग्रामीण क्षेत्रों में घटित अग्नि दुर्घटना की संख्या

2.1.3 औद्योगिक क्षेत्रों की आग

पिछले कुछ वर्षों में बेमेतरा जिले में औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। जिले के कई उद्योग खतरनाक रसायनों की बड़ी मात्रा को संसाधित करते हैं। यह सामान्य रूप से कर्मचारियों, आसपास के समुदाय और पर्यावरण को संभावित नुकसान पहुंचा सकता है, जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना नहीं हुई है।

2.1.4 जंगल की आग


वन सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं और मानव जीवन और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लंबे समय तक शुष्क मौसम और अधिक दोहन के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों के कारण जंगल की आग की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।

बेमेतरा जिले में जंगल की आग सामान्य रूप से घटित होती हैं। जंगल की आग जंगली जीवन, पर्यावरण और परिस्थिति तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। कई आदिवासी समुदाय भी वन क्षेत्रों में और उसके आसपास रहते हैं। ग्रीष्मकाल में तेज़ हवा के वेग और कई अन्य कारणों से जंगल की आग की घटनाओं में वृद्धि होती है। हालांकि इस प्रकार की घटनाओं में बड़े हताहतों का कोई इतिहास नहीं है।

| जंगल की आग दुर्घटना की ऐतिहासिक जानकारी | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------|--------------------|---------------------------------------|
| क्र. | अग्नि दुर्घटना | घटना का वर्ष | अग्नि दुर्घटना की समय अवधि (माह) | घटना स्थल (जिला, तहसील) | अग्नि दुर्घटना के कारण (प्राकृतिक/मानव निर्मित) | अग्नि दुर्घटना से प्रभावित जंगलीय क्षेत्र (हेक्टेयर) में | अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या | प्रभावित लोग | | निकटतम फायर स्टेशन | आग दुर्घटना पर नियंत्रण कैसे किया गया |
| | | | | | | | | मृत्यु | घायल | | |
| 1 | जंगल की आग | 2014 | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | |
| | | 2016 | 04.04.2016 | बिरमपुर-उसलापुर वृक्षारोपण, तह. व जिला बेमेतरा | अज्ञात | 50 | 1 | 0 | 0 | बेमेतरा | जनता के सहयोग से |
| | | | 27.04.2016 | अमोरा पथ वृक्षारोपण, तह. नवागढ़ जिला बेमेतरा | अज्ञात | 12 | 1 | 0 | 0 | बेमेतरा | जनता के सहयोग से |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------------------------------|--------------------|-------|---|---|---|---------|------------------|
| | 04.05.2016 | लालपुर वृक्षारोपण, तह. नवागढ़ जिला बेमेतरा | विद्युत स्पार्किंग | 10 | 1 | 0 | 0 | बेमेतरा | जनता के सहयोग से |
| | 04.06.2016 | जुनवानी वृक्षारोपण, तह. नवागढ़ जिला बेमेतरा | अज्ञात | 32.20 | 1 | 0 | 0 | बेमेतरा | जनता के सहयोग से |
| | 03.05.2016 | झालम वृक्षारोपण, तह. व जिला बेमेतरा | अज्ञात | 22 | 1 | 0 | 0 | बेमेतरा | जनता के सहयोग से |
| 2017 | 19.02.2017 | जुनवानी वृक्षारोपण, तह. नवागढ़ जिला बेमेतरा | अज्ञात | 3.50 | 1 | 0 | 0 | बेमेतरा | जनता के सहयोग से |
| 2018 | निरंक | | | | | | | | |
| 2019 | 01.05.2019 | जुनवानी वृक्षारोपण, तह. नवागढ़ जिला बेमेतरा | अज्ञात | 12 | 1 | 0 | 0 | बेमेतरा | जनता के सहयोग से |

तालिका 3 – जंगल की आग दुर्घटना की ऐतिहासिक घटित जानकारी



लेखाचित्र 3 : जंगल की अग्नि दुर्घटनाओं की संख्या

2.2 खतरों का मौसम

| Incident Month | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------|-------|-------|--------------------|------|------|--------|---------------|---------|----------|----------|
| Risk | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| Industrial Fire | | | | | | | | | | | | |
| Forest Fire | | | | | | | | | | | | |
| Urban Fire | | | | | | | | | | | | |
| Rural Fire | | | | | | | | | | | | |
| Legend | High Occurance | | | | Moderate Occurance | | | | Low Occurance | | | |

तालिका 4 – खतरों का मौसम

| तहसील के अनुसार सम्पूर्ण अग्नि दुर्घटनाओं के विश्लेषण | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|-------------|------------------|-----------------|
| S.No. | Block Name | Urban fire | Rural Fire | Forest Fire | MAUnits | Overall Hazards |
| | | | | | (IndustrialFire) | |
| 1 | Bemetara | High | High | Low | Low | Moderate |
| 2 | Nawagarh | Moderate | Low | Low | Low | Low |
| 3 | Thankhamariya | Low | Moderate | Low | Low | Low |
| 4 | Berla | Low | Low | Low | Low | Low |
| 5 | Saja | Low | Low | Low | Low | Low |

तालिका 5 – तहसील के अनुसार सम्पूर्ण अग्नि दुर्घटनाओं के विश्लेषण



मानचित्र 4 : तहसील के अनुसार सम्पूर्ण अग्नि दुर्घटनाओं के विश्लेषण का मानचित्र

2.3 बेमेतरा में अग्नि की घटनाएं मुख्यतः निम्न स्थानों पर होती हैं

- ❖ **खेत-खलिहानों में अग्नि की घटनाएं:** मार्च से मई माह के दौरान गेहू के खेतों में अग्नि की दुर्घटनाएं प्रदेश के अधिकांश जिलों में घटती हैं। इस अग्नि दुर्घटना का मुख्य कारण फसलों का अत्यधिक सूखा होने के साथ ही किसानों द्वारा असावधानी बरतनें अथवा खेत से गुजरने वाले हाइड्रेशन लाइन के गिरने के कारण अग्नि की दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे व्यापक स्तर पर फसलों का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त गेहू की फसल की कटाई के उपरांत प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किसान नरवाई में आग लगा देते हैं, जो कि अनियंत्रित होने पर खेत-खलिहानों तक पहुंच जाता है तथा व्यापक स्तर पर फसलों के साथ ही संपत्ति का भी नुकसान होता है। यह आग वर्ग-1 श्रेणी की आग होती है जिसे पानी तथा अग्निशामक से बुझाया जाता है।
- ❖ **व्यावसायिक क्षेत्रों में लगने वाली आग:** व्यावसायिक क्षेत्रों में उपरोक्त पांचों श्रेणी की आग हो सकती है तथा इसे बुझाने हेतु अग्निशमन यंत्र का उपयोग आवश्यक है। इस प्रकार की आग शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः होटल, बाजार का क्षेत्र अति व्यस्त क्षेत्रों में होता है यदि इसे निर्धारित समय में नियंत्रित नहीं किया गया तो इस आग के द्वारा दूसरे सिलेण्डर अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थों में विस्फोट होने की संभावना होती है, जो कि अत्यंत विनाशकारी स्थिति होती है।
- ❖ **औद्योगिक क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना:** जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में अग्नि की दुर्घटनाएं संभावित हैं।
- ❖ **राजमार्गों पर रसायनों के परिवहन करने वाले टैंकों में अग्नि विस्फोट की दुर्घटना:** प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों और राजकीय मार्गों पर टैंकरो द्वारा रसायनों के परिवहन किये जाते हैं। इन रसायनों में पेट्रोल, डीजल, एल.पी.जी अन्य खतरनाक रसायनों का परिवहन भी होता है। दुर्घटनावश ऐसे टैंकरों में अग्नि विस्फोट की संभावना होती है।

2.4 भेद्यता विश्लेषण

2.4.1 स्वरचनात्मक भेद्यता

जिला प्रशासन के अनुसार बेमेतरा में आवास की स्थिति निम्नलिखित है।

| जिलों में संभावित आग जोखिम का विवरण | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| विवरण | | संख्या | |
| क्र. | इमारतें | आवासीय | गैर आवासीय |
| 1 | 15 मीटर तक की ऊंचाई | 386 | 0 |
| | 15 मीटर से लेकर 24 मीटर तक की ऊंचाई | 0 | 0 |
| | 25 मीटर से लेकर 50 मीटर तक की ऊंचाई | 0 | 0 |
| | 50 मीटर से अधिक की ऊंचाई | 0 | 0 |
| 2 | औद्योगिक क्षेत्र/रासायनिक क्षेत्र | 1 | |
| 3 | सिनेमा हॉल/मॉल/नाटक/थिएटर | 0 | |
| 4 | सार्वजनिक सभा सल | 0 | |
| 5 | विस्फोटक सामग्री (पटाखे इत्यादि) | 0 | |
| 6 | तीर्थ यात्री क्षेत्र (अस्थायी जनसंख्या) | 0 | |
| 7 | प्रदर्शनी/सार्वजनिक समारोह के मैदान जहाँ सर्कस या कोई अन्य धार्मिक/सामाजिक कार्य के लिए पंडाल खड़ा करने की अनुमति दी जाती हो। | 0 | |
| 8 | अन्य (विवरण दें) खेत-खहिलहान, पैरावट, फसल, बोर कनेक्शन, झोपड़ी, गन्ना फसल, ठेला व अन्य को रखा गया है। | 1048 | |

तालिका 6 – जिले में संभावित आग जोखिम का विवरण

| भवनों का वर्गीकरण | | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| क्र. | इमारतों के प्रकार | | संख्या | रिमार्क |
| 1 | आवासीय | लॉज | 11 | न.पा.परिषद् बेमेतरा, न.पंचा. थानखम्हरिया-01 |
| | | शयनगृह | 03 | नगर पालिका-01, नगर पंचा. नवागढ़-01, बेरला-01 |
| | | अपार्टमेंट घर (फ्लैट) | 6352 | नगर पालिका-6351, नगर पंचा. नवागढ़-01, |
| | | होटल | 115 | नगर पालिका-52, नगर पंचा. नवागढ़-22, साजा-5, बेरला-25, देवकर-08, मारो-03 |
| | | होटल (तारांकित) | 0 | |
| 2 | शैक्षणिक भवन | प्राइमरी स्कूल | 543 | पिछले 5 वर्षों में किसी प्रकार की कोई अग्नि दुर्घटना नहीं हुआ है। |
| | | मिडील स्कूल | 387 | |
| | | हाई स्कूल | 72 | |

| | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | हायर सेकेण्डरी स्कूल | 7 | |
| | | शा./प्राई. महाविद्यालय | 7+1+1=9 | शासकीय महाविद्यालय-07, प्राईवेट महाविद्यालय-01, कृषि महाविद्यालय-01 |
| | | शा./प्राई. छात्रावास | 20 | प्राईवेट छात्रावास निरंक |
| | | अन्य प्रशिक्षण संस्थान | 1 | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बेमेतरा |
| 3 | संस्थागत भवन | अस्पताल | 153 | जिला अस्पताल-01, सिविल अस्पताल-01, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-04, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-20, उप-स्वास्थ्य केन्द्र-127 |
| | | जेल एवं मानसिक सुधार संस्थान | | |
| 4 | जन सामुदायिक भवन | | 42 | नगर पालिका-18, नगर पंचा. नवागढ़-11, साजा-08, बेरला-02, थानखम्हरिया-03, देवकर-07, मारो-05, परपोड़ी-10, तह. नवागढ़-01 |
| 5 | व्यावसायिक भवन | | 32 | नगर पालिका-08, नगर पंचा. नवागढ़-02, साजा-01, बेरला-09 |
| 6 | औद्योगिक भवन | | 0 | |
| 7 | भण्डारन की ईमारतें | | 6 | |
| 8 | खतरनाक इमारतें | | 1 | न.पा. देवकर-01 |

तालिका 7 – भवनों का वर्गीकरण

2.4.2 आर्थिक भेद्यता

बेमेतरा में कई आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं। दैनिक बुनियादी जरूरतों के लिए उनके पास सीमित संसाधन हैं। जिन संरचनाओं में वे रहते हैं वे ज्यादातर खतरों का सामना करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित नहीं हैं। इस प्रकार उनके पास सीमित संसाधन हैं जो किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना की स्थिति में नुकसान और क्षति के लिए अत्यधिक प्रवण हैं।

बेमेतरा में महत्वपूर्ण उद्योग, व्यावसायिक घरानों, कारखानों कॉर्पोरेट आदि का केंद्र है। ईंधन की पाइपलाइन भी जिले से होकर निकलती है। जिले की खतरनाक प्रोफाइल के संबंध में, बुनियादी ढांचे को कोई महत्वपूर्ण नुकसान जिले को एक बड़ा आर्थिक नुकसान दे सकता है।

2.4.3 पर्यावरणीय भेद्यता

बेमेतरा सबसे अधिक औद्योगिक जिलों में से एक है। औद्योगीकरण, शहरीकरण के कारण, आग की दुर्घटनाएँ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिसके कारण प्रदूषण, जैव विविधता की हानि, स्थानीय समुदायों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है।

2.5 क्षमता विश्लेषण

क्षमता में ऐसे सभी संसाधन मानव उपकरण बुनियादी ढांचे आदि शामिल हैं जो जिले में अग्नि दुर्घटना के समय राहत एवं बचाव कार्य में सम्मिलित होते हैं की संगठित प्रतिक्रिया के लिए अग्नि सुरक्षा से संबंधित संसाधनों की सूची का एक व्यापक डेटाबेस आवश्यक है। उचित और पर्याप्त जानकारी के आभाव में सही समय रिस्पॉंस करने में देरी उत्पन्न होती है।

बेमेतरा में प्रशिक्षित मानव संसाधन, अग्नि सुरक्षा उपकरण, खोज-बचाव उपकरण आदि जैसे प्रशिक्षित संसाधन की जानकारी जिला वार IDRN और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य आपातकालीन सेवाओं के पास उपलब्ध हैं।

2.5.1 मानव संसाधन

विभिन्न लाइन विभागों के प्रशिक्षित कर्मचारी और अधिकारी जो जिले की किसी भी अग्नि दुर्घटना में खोज बचाव से लेकर को हित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। विभिन्न आपातकालीन संपर्क और विभिन्न लाइन विभागों के संपर्क की सूची में उल्लिखित है।

CGSDMA राज्य अग्नि शमन सेवा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी और NDMA द्वारा राज्य स्तर नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिला प्रशासन को किसी भी प्रकार की उद्योगिक दुर्घटना से निपटने के लिये सक्षम बनाना। आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जिला स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन प्रशिक्षणों में खोज और बचाव पर प्रशिक्षण, प्रथम उत्तरदाता, EOC प्रबंधन, सुरक्षित निर्माण के लिए वास्तुकार और इंजीनियर का प्रशिक्षण शामिल हैं। इसने जिला और राज्य स्तर पर एक बड़ा प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किया है।

2.5.2 उपकरण

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष राज्य आपातकालीन सेवाओं, राज्य आपदा मोचन बल, अग्नि शमन सेवा, जिला प्रसाशन को अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिये अग्नि शमन, खोज-बचाव के उपकरण प्रदान किये जाते हैं जिसकी सूची इस प्रकार है।

| संसाधन सूची | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| उपकरण का नाम | संख्या | उपकरण का नाम | संख्या |
| संचार विभाग | | स्वास्थ्य | |
| जीपीएस हैंडसेट | निरंक | एम्बुलेंस की संख्या | 21 (एम्बुलेंस -06, 108 की संख्या- 05, 102 की संख्या-10) |
| मोबाईल फोन जीएसएम | निरंक | | |
| मोबाईल फोन सीडीएमए | निरंक | निजी एम्बुलेंस की संख्या | 2 |
| वाकी-टाकी | निरंक | | |
| परिवहनविभाग | | कानून और व्यवस्था | |
| बस | 18 | पुलिस थाने | 09 थाना, 5 चौकी |
| ट्रेक्टर | 2307 | पुलिस ट्रैफिक पॉइंट | 6 |
| लाईट एम्बुलेंस वैन | 2 | | |
| मध्यम एम्बुलेंस वैन | निरंक | | |
| ट्रक | - | | |
| मटाडोर | 46 | | |
| बचाव | | अन्य उपकरण | |
| अग्निशमन नियंत्रण वैन | जिला सेनानी नगर सेना | निरंक | |
| डीसीपी टेंडर | | निरंक | |
| हजमत वैन | | निरंक | |
| एक्सटेंशन सीढी | | निरंक | |
| रसायन सुरक्षात्मक-वस्त्र (ए,बी,सी) | | निरंक | |
| सूट - एनबीसी | | निरंक | |
| टोकरी स्ट्रेचर | | निरंक | |
| हवाई रस्सी लांचर | | निरंक | |
| फायर टेंडर | | निरंक | |
| फोम टेंडर | | निरंक | |
| रीसक्यू टेंडर | | निरंक | |

तालिका 8 – संसाधन सूची

2.6 जल संसाधन

जिले में अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए जल स्रोतों एवं उनमें उपलब्ध जल की जानकारी आवश्यक होती है।

| ग्रीष्म काल के दौरान अग्निशमन एवं आपातकालीन सहायता के लिए जल संसाधन का विवरण | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| क्र. | जिला | तहसील | बाँध, नदी, अन्य | नदी / नाले का नाम | जल की उपलब्धता (मार्च – जून) |
| 1 | बेमेतरा | बेरला | रांका, बूढाजौंग एनी. कम काजवे | शिवनाथ नदी | मई 50 प्रतिशत, जून 25 प्रतिशत |
| 2 | | बेरला | बहेरघट, लावातरा एनीकट कम काँजवे | शिवनाथ नदी | |
| 3 | | बेरला | तिरैया एनीकट | शिवनाथ नदी | |
| 4 | | बेरला | ताकम एनीकट कम काजवें | शिवनाथ नदी | |
| 5 | | बेमेतरा | अमोरा एनीकट कम काजवें | शिवनाथ नदी | |
| 6 | | बेमेतरा | पौंसरी, तुलसी एनीकट कम काजवें | शिवनाथ नदी | |
| 7 | | बेमेतरा | बहिंगा एनीकट कम काजवें | शिवनाथ नदी | |
| 8 | | बेरला | खम्हरिया (पाथरपूंजी) एनीकट कम काजवें | शिवनाथ नदी | |
| 9 | | बेरला | डंगनिया, भरचट्टी एनीकट / काजवे | शिवनाथ नदी | |
| 10 | | नवागढ़ | अमलडीहा-सेमरिया एनीकट | शिवनाथ नदी | |
| 11 | | नवागढ़ | नांदघाट-लिमतरा एनीकट | शिवनाथ नदी | |
| 12 | | बेमेतरा | मउ-नवागाँव एनीकट / काजवे | शिवनाथ नदी | |
| 13 | | बेमेतरा | चक्रवाय (तुमा) एनीकट कम काजवें | शिवनाथ नदी | |

तालिका 9 – ग्रीष्म काल के दौरान अग्नि-शमन एवं आपातकालीन

3. संस्थागत व्यवस्था

अग्नि दुर्घटनाओं से शमन, बचाव, एवं प्रतिक्रिया हेतु संस्थागत व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, प्रसाशन एवं जनसामान्य को अग्नि दुर्घटना से निपटने में मार्गदर्शन प्रदान करती है।

जिला स्तर पर अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए संस्थागत तंत्र, जैसा कि राष्ट्रीय योजना में शामिल है, नीचे दिया गया है:

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- जिला अग्निशमन सेवा एवं होम गार्ड
- स्थानीय स्व-सरकारी प्राधिकरण
- जिला आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर

3.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत जिला आपदा प्रबंधन समिति एक शीर्ष नियोजन समिति है। यह तत्परता एवं शमन हेतु प्रमुख भूमिका निभाती है। जिला स्तर पर प्रतिक्रिया का समन्वय जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जाता है, जो जिला आपदा प्रबन्धक के रूप में काम करते हैं।

3.2 जिला अग्निशमन सेवा एवं होम गार्ड

जिला स्तर पर अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिये राज्य आपातकालीन एवं अग्निशमन सेवा ने जिला स्तर पर जिला सेनानी को अग्नि शमन सेवा प्रदान की है एवं जिला सेनानी को जिला अग्नि सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

3.3 तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति एवं अग्नि शमन सेवा—

तहसील एवं शहरी क्षेत्रों में अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, नगरीय निकायों को उपलब्ध आपातकालीन सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है।


3.4 ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति

ग्राम स्तर पर अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए एवं जिला आपातकालीन अग्नि शमन सेवाओं से समन्वय हेतु ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, ग्राम स्तर पर अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने हेतु अग्नि शमन संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

3.5 जिला आपातकालीन संचालन केंद्र


डीईओसी जिला कलेक्टर के कार्यालय में स्थित है। यह किसी आपदा से निपटने के लिए सूचना एकत्रण, प्रसंस्करण और निर्णय लेने के लिए केंद्र बिंदु भी है। एकत्रित और संसोधित की गई जानकारी के आधार पर आपदा प्रबंधन के संबंध में इस नियंत्रण कक्ष में अधिकांश महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, यह पूरे साल काम करता है और विभिन्न विभागों को अग्नि दुर्घटना के दौरान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यपालन का आदेश देता है। घटना कमांडर जिला नियंत्रण कक्ष में प्रभार लेता है जो आपातकालीन परिचालनों का निर्देश देता है।

अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए जिले स्तर पर लिए संगठनात्मक स्वरूप



प्रवाह चित्र 1: अग्नि-शमन सेवाओं हेतु संगठनात्मक स्वरूप ढांचा

अग्नि दुर्घटनाओं के समय सूचना का प्रवाह तंत्र



प्रवाह चित्र 2: अग्नि दुर्घटनाओं के समय सूचना का प्रवाह तंत्र

3.5.1 सुविधाएं/व्यवस्थाएं जिला नियंत्रण कक्ष/केन्द्र

जिला नियंत्रण केन्द्र में अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिए एवं विभिन्न लाइन विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु निम्न व्यवस्थाएं होगी –

- टेलीफोन, सेटेलाइट फोन
- आपदा प्रबंधन योजना एवं जिला अग्नि सुरक्षा योजना की कॉपी
- वायरलेस सेट

- कान्फ्रेंस रूम
- वाकी टाकी
- एक कम्प्यूटर जिसमें इंटरनेट हो
- अन्य आवश्यक सामग्री

3.5.2 वैकल्पिक नियंत्रण कक्ष

किसी भी प्रकार के अग्नि दुर्घटना से निपटने के लिये जिला स्तर पर आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गई है। किन्तु आपातकालीन नियंत्रण केन्द्र के साथ-साथ जिला सेनानी, नगर सेना, पुलिस विभाग,में भी वैकल्पिक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है।

4. रोकथाम और न्युनीकरण के उपाय

अग्नि दुर्घटना के जोखिम को कम करने में रोकथाम और शमन उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुनियादी ढांचे और सेवाओं में किए गए उपाय संरचनात्मक उपायों के प्रमुख, जबकि सूचनात्मक और नीतिगत तरीके से किए गए उपाय गैर-संरचनात्मक उपायों के प्रमुख के तहत आते हैं। संरचनात्मक शमन उपाय भौतिक कमजोरियों और गैर-संरचनात्मक शमन उपाय सामाजिक कमजोरियों के अंतर्गत आते हैं। निम्न कुछ रोकथाम और न्युनीकरण के उपाय :-

- क्षमता निर्माण
- लघु अवधि के साथ ही लंबी अवधि की सतत विकास योजना बनाना
- तैयारियों को बढ़ाना

4.1 खतरे के आधार पर संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय

संरचनात्मक निवारण

संरचनात्मक निवारण में अग्नि के नुकसान को कम करने या इसे खत्म करने के लिए इमारत के संरचनात्मक उपायों को भी लागू किया जा सकता है।

गैर- संरचनात्मक निवारण

गैर-संरचनात्मक निवारण में एक इमारत के गैर-संरचनात्मक तत्वों का पुनः संयोजन किया जाता है। एक इमारत के गैर-संरचनात्मक तत्व वो होते हैं जो अप्रभावी होने पर उस इमारत को गिरने नहीं देते। इसमें बाहरी व आंतरिक तत्व, विद्युत, यांत्रिकी और पाइपलाइन प्रणाली का निर्माण शामिल हैं।

4.2 खतरा: आग

आग के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय -

| संरचनात्मक शमन उपाय | कार्यान्वयन विभाग | योजना/ कार्यक्रम के साथ अभिसरण | समय सीमा |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|----------|
| अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने की मशीन, रेत की बाल्टी की स्थापना | जिला अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग | | एक बार |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--------|
| आग / धुआं अलार्म की स्थापना | जिला अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग | | एक बार |
| दिशा संकेत के अच्छी तरह से आग से बाहर निकलने का प्रावधान | जिला अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग | | एक बार |
| निर्माण में अग्निरोधक सामग्री का प्रयोग | लोक निर्माण विभाग | | एक बार |

तालिका 10: आग के खतरे के लिए संरचनात्मक निवारण उपाय

आग के लिए गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय

| गैर- संरचनात्मक निवारण उपाय | कार्यान्वयन विभाग | योजना / कार्यक्रम के साथ अभिसरण | समय सीमा |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------|
| आपातकालीन योजना की तैयारी | जिला अग्निशमन विभाग | जिला विकास योजना | वार्षिक |
| निकासी योजना की तैयारी | जिला अग्निशमन विभाग | जिला विकास योजना | वार्षिक |
| अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण / शिक्षा | जिला अग्निशमन विभाग | सर्व शिक्षा अभियान | नियमित |

तालिका 11 : आग के खतरे के लिए गैर-संरचनात्मक निवारण उपाय

- विस्फोटक अधिनियम 1884 और नियम 2008
- खतरनाक रसायन का निर्माण, भंडारण और आयात अधिनियम 1989
- कारखानों का अधिनियम 1948
- गैस सिलिंडर नियम अधिनियम 2004
- पेट्रोलियम अधिनियम 1924
- रासायनिक दुर्घटनाएँ (आपातकालीन योजना, तैयारियाँ और प्रतिक्रिया) नियम 1996
- भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923
- सेंट्रल मोटर्स व्हीकल अधिनियम 1989

5. पूर्व-निर्धारित तैयारियों एवं उपाय


अग्नि सुरक्षा प्रबंधन और आग आपातकालीन योजना सभी परिसरों पर लागू होती है जो नियोक्ता, मालिक या प्रमुख व्यवसायी के रूप में कंपनी, संगठन, व्यवसाय का नाम, के नियंत्रण में किसी भी हद तक हैं। इसकी आवश्यकताएं कर्मचारियों, आगंतुकों और ठेकेदारों सहित उन परिसरों में सभी व्यक्तियों तक फैली हुई हैं जो स्थायी या अस्थायी रूप से लगे हुए हैं।

5.1 सामान्य तैयारियों एवं उपाय

5.1.1 घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस)

क्षेत्र के घटना प्रत्युत्तर टीम के माध्यम से आइआरएस संगठन कार्य करता है। डीडीएमए के अध्यक्ष जिला कलेक्टर ही घटना प्रत्युत्तर प्रबंधन का सर्वोच्च पदाधिकारी एवं जवाबदेह व्यक्ति होता है। आवश्यकतानुसार जिला कलेक्टर किसी अन्य जवाबदेह अधिकारी को अपना कार्यभार सौंप सकता है। अगर जिले में अग्नि दुर्घटना एक से अधिक स्थानों पर हुई तो उस जिले का कलेक्टर इंसिडेंट कमांडर का काम करता है।

घटना प्रत्युत्तर प्रणाली के सक्रिय होने के साथ-साथ एक कार्य संचालन सेक्शन, एक योजना सेक्शन, एक रसद सेक्शन और एक वित्त सेक्शन अपने-अपने प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ त्वरित कार्य करने की भूमिका निभाते हैं।




प्रवाह चित्र 3: घटना (हादसा) प्रत्युत्तर प्रणाली (आइआरएस)

5.2 नियंत्रण कक्ष की स्थापना

नियंत्रण कक्ष द्वारा चेतावनी के प्रचार-प्रसार, राहत व बचाव कार्यों की निगरानी, तैयारियों का आकलन, मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) तैयारियों के बारे में नजर रखा जाता है। वर्तमान में जिला सेनानी नगर सेना / नगर निगम / नगर पालिका एवं राजस्व विभाग अन्य सम्बंधित विभागों के साथ समन्वय कर नियंत्रण कक्ष संचालित करता है।

➤ नियंत्रण कक्ष की तैयारी

- सभी सार्वजनिक संस्थानों, एनजीओ/निजी क्षेत्र संगठनों के संपर्क विवरण को बनाए रखना, जिससे आपातकाल के दौरान प्रयोग में लाया जा सकें।
- योजनाओं की तैयारी में जीआईएस और आर.एस. जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल।
- संवेदनशील क्षेत्रों के रिकॉर्ड, बचाव और राहत कार्यों की निगरानी, निर्णय लेना और डेटाबेस आदि का प्रबंधन करना।
- जिले में स्थिति के अनुसार जिला नियंत्रण कक्ष प्रणाली का सुधारीकरण, नवीनीकरण करना और संसाधनों की एक सूची बनाए रखना।
- विभिन्न कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा और समुदायों में प्रभावी सार्वजनिक जागरूकता लाने के लिए यह सुनिश्चित करना कि योजनायें सबसे निचले स्तर तक पहुँच गई हैं।



प्रवाह चित्र 4: नियंत्रण कक्ष की तैयारी

5.3 पूर्व आपदा स्थिति में अग्नि सुरक्षा की समन्वय प्रक्रिया

अग्नि आपदा प्रबंधन के लिए अग्नि आपातकालीन योजना पिछले अनुभवों के साथ-साथ जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए सुझावों और जानकारीयों पर भी आधारित होती है। पूर्व और बाद के आपदा के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए रणनीति विकसित की गई है। जिले में उप-विभागीय और जिले के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं जो क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में काम करते हैं। वे बचाव और राहत कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, और जिला मजिस्ट्रेट के प्रत्यक्ष आदेश के तहत दैनिक रूप से स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं।

| तैयारी | उद्देश्य | द्वारा शुरू किये गए कार्य |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| जिला स्तर समिति के साथ समन्वय | आग लगने वाले जगहों संबंधी एहतियाती उपाय करना | जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र |
| कमजोर अंक का मानचित्रण | कमजोर स्पॉट का नियमित मानचित्रण निवारक उपायों की योजना और कार्यान्वयन और पूर्व चेतावनी | जिला सेनानी एव टीम |
| आवश्यक वस्तुएं | अग्नि सुरक्षा हेतु समान तेल, ईंधन का भण्डार | |
| आश्रय का चयन | आपातकाल की अवधि के दौरान व्यवस्थित आश्रय | राहत टीम, स्थानीय लोग |
| राहत टीम | दवाओं का एक स्टॉक रखते हुए कर्मियों का प्रतिनिधिमंडल | सी.एम.ओ., सिविल सर्जन |
| अनुकर्णीय अभ्यास का आयोजन | <ul style="list-style-type: none"> जागरूकता पैदा करना प्रशिक्षण की तैयारी | जिला स्तर के अधिकारी |

तलिका 12: पूर्व अग्नि दुर्घटना की स्थिति में डी.डी.एम.ए. की समन्वय प्रक्रिया

5.4 तत्काल पूर्व आपदा स्थिति में डी.डी.एम.ए. का समन्वय प्रक्रिया (पूर्व चेतावनी प्रणाली के पश्चात तत्काल प्रक्रिया)

| तैयारी | उद्देश्य | द्वारा शुरू किये गए कार्य |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सूचना का संग्रह | कण्ट्रोल रूम से | लाइन विभाग |
| सूचना प्रसार | सभी लाइन विभाग | विद्युत लाइन विभाग के प्रमुख, उप जिलाधिकारी, जनसम्पर्क. विभाग |
| तत्काल स्थापित करने और नियंत्रण कक्ष बचाव और निकासी के कामकाज | निकास आश्रयों की पहचान रसद आपूर्ति | नागरिक रक्षा इकाई, पुलिस विभाग सशस्त्र बलों, अग्नि तमन अधिकारी, फायर ऑफिस, और रेड-क्रॉस टीम बचाव किट के साथ तैयार है जो उन्हें डी.ई.ओ.सी. के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है |
| प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री की दुलाई सुनिश्चित करना | प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री की समय पर पहुंच सुनिश्चित करना | डी.एस.ओ./ एस.डी.एम./आर.टी.ओ. |
| जीवन और सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करना | असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम | डीएसपी/ इंस्पेक्टर/ प्रभावित ब्लॉक के एसआई, और गैर सरकारी संगठन |
| स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना | राहत कार्य | मुख्य कार्यपालन अभियंता, पी.एच.ई. सी.एम. एच.ओ. |
| स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 24 घंटे में क्षेत्र स्तर के अधिकारियों की बैठक | बेहतर समन्वय | डीएम, जिला स्तर पर डीसी, उप प्रभागीय स्तर पर एसडीएम |
| ईओसी के मुख्य समूह द्वारा सूचना का संग्रह और संबंधित अधिकारियों की दैनिक रिपोर्टिंग करना | तहसील क्षेत्र, जिला और राज्य नियंत्रण कक्ष के बीच त्रिकोणीय सम्बन्ध | ईओसी के कोर समूह/ लाइन विभागों के अधिकारी |
| वाहनों की अनुमानित संख्या- हल्के/ मध्यम/ भारी | राहत कार्यों के लिए सुगम परिवहन सुनिश्चित करना | डी.टी.ओ . |

तालिका 13: तत्काल पूर्व आपदा में डीडीएम के समन्वय तंत्र (प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने के तुरंत बाद)

5.5 अग्नि आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)

| तैयारी | उद्देश्य | द्वारा शुरू किये गए कार्य |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| आपदा के तुरंत बाद कार्यवाही के लिए तैयार हो जाना | आग में फंसे और घायल व्यक्तियों को बचाने के लिए | सभी लाइन विभाग और हितधारक |
| नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यात्मक | आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए | जिला नियंत्रण कक्ष, सभी लाइन विभाग, सी.ई.ओ. |
| प्रावधानों के अनुसार राहत का वितरण | | एस.डी.एम., सी.ई.ओ., गैर सरकारी संगठन |

तालिका 14: आपदा के दौरान डीडीएमए का समन्वय तंत्र (राहत वितरण प्रणाली)

5.6 अग्नि आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र

| तैयारी | उद्देश्य | द्वारा शुरू किये गए कार्य |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| प्रसावधानों के अनुसार राहत वितरित करना | राहत और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना | एस.डी.एम., बी.डी.ओ., सी.ई.ओ., गैर सरकारी संगठन |
| क्षति का आकलन | सरकार को वास्तविक क्षति रिपोर्ट करना | सभी लाइन विभाग, सी.ओ., कार्यपालन अभियंता, उप कलेक्टर |
| बाह्य एजेंसियों द्वारा राहत कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन | राहत प्रशासन की निरंतरता को बनाए रखना | डी.एम., एस.डी.एम. |
| सड़क और रेलवे नेटवर्क की पुनर्स्थापना | समय पर और शीघ्र वितरण राहत वस्तुओं का परिवहन, बचाव दल की तैनाती | संबंधित विभागों के कार्यपालन अभियंता, सैन्य और अर्धसैनिक बल, पुलिस |
| इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली को बहाल करना | उचित समन्वय सम्बन्ध सुनिश्चित करना | बीएसएनएल, पुलिस संकेतों के विशेषज्ञ |
| संपूर्ण घटना का लिखित, ऑडियो, विडियो | रिपोर्टिंग प्रयोजनों और संस्थागत मेमोरी के लिए | एस.डी.एम., सी.ई.ओ. |
| निगरानी | राहत कार्यों की समीक्षा करने और बाधाओं को दूर करने के लिए | डी.एम., डी.सी., एस.डी.एम., जिला सेनानी |

तालिका 15 : अग्नि आपदा के बाद की स्थिति में डीडीएमए का समन्वय तंत्र

6. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपाय

6.1 क्षमता निर्माण

डीएम अधिनियम (2005) के अनुसार, क्षमता निर्माण में शामिल हैं –

- मौजूदा और संग्रहित संसाधनों की पहचान;
- आपदाओं से निपटने हेतु प्रभावशाली प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

क्षमता संवर्धन अथवा क्षमता निर्माण अग्नि आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। आपदा प्रबंधन में क्षमता निर्माण का प्राथमिक उद्देश्य जोखिम को कम करना और इस प्रकार समुदायों को सुरक्षित बनाना है। क्षमता निर्माण से तात्पर्य व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमताओं में वृद्धि से है जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न उपायों द्वारा संभव की जाती है। जिला स्तर पर प्रभावी क्षमता निर्माण के लिए उन सभी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए, इसमें एक व्यापक और अद्यतन जिला आपदा प्रबंधन संसाधन सूची, जागरूकता निर्माण, शिक्षा और व्यवस्थित प्रशिक्षण को बनाए रखना शामिल होना चाहिए। आपदा के समय किये जाने वाले राहत व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक दक्षता व क्षमता से प्रतिक्रिया कर सकता है।

जिला कलेक्टर को पूरे जिले की निम्नलिखित क्षमता निर्माण गतिविधियों को सुनिश्चित करना चाहिए, और विभागों के विभिन्न प्रमुखों को अपने संबंधित विभागों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा प्रमुख विभागों के नोडल अधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए संबंधित उपकरणों को खरीदना चाहिए।

6.2 संस्थागत अग्नि क्षमता निर्माण

संस्थागत अग्नि क्षमता निर्माण एक स्तर-प्रणाली पर संरक्षित किया जाएगा जिसे जिला स्तर पर कई क्षेत्रों से कौशल अधिकारियों और पेशेवरों को लाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। डीडीएमए प्राथमिकता के आधार पर स्तर के रूप में संरचित निम्नलिखित क्षेत्रों से प्रतिनिधियों की क्षमताओं और विशेषज्ञता का उपयोग करेगा।

छत्तीसगढ़ अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (सीजीएए) छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य स्तर पर जिम्मेदारी लेती है। ट्रेनिंग तीन से पांच दिनों तक होती है और प्रशिक्षण के विशिष्टताओं के अनुसार विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

इनके अलावा अन्य जिला स्तरीय संस्थान जैसे— कॉलेज, स्कूल, आ.ई.टी.आई, इंजीनियरिंग प्रशिक्षण, इंस्टीट्यूट, एनजीओ, आदि की सहायता प्रशिक्षण हेतु ली जाती है, जिससे इन प्रबंधन कार्यक्रमों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।

6.3 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन)

आईडीआरएन, एक वेब आधारित सूचना प्रणाली है जो उपकरणों की सूची, कुशल मानव संसाधनों और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति प्रबंधन हेतु है। प्राथमिक केंद्र निर्णय निर्माताओं को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधनों की उपलब्धता पर उत्तर खोजने में सक्षम बनाना है। यह डेटाबेस उन्हें विशिष्ट भेद्यता के लिए तैयारी के स्तर का आकलन करने में सक्षम बनाएगा।

राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक उपयोगकर्ता को अद्वितीय उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिया गया है, जिसके माध्यम से वे अपने जिले में उपलब्ध संसाधनों के लिए आईडीआरएन में डाटा एंट्री व डेटा अपडेट कर सकते हैं।

आईडीआरएन नेटवर्क में विशिष्ट उपकरणों, कुशल मानव संसाधनों और उनके स्थान और संपर्क विवरण के साथ महत्वपूर्ण आपूर्ति के आधार पर कई विकल्प उत्पन्न करने की कार्यक्षमता रखता है।

6.4 भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ

| विभाग | प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डीडीएमए | <ul style="list-style-type: none"> ● अग्नि राहत शिविर की स्थापना करें और यह सुनिश्चित करें कि पीड़ितों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। ● अग्नि राहत शिविरों के संचालन और प्रबंधन में प्रशिक्षित जिले की घटना प्रतिक्रिया टीम के एक सदस्य को राहत शिविरों के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाएगा। ● चेतावनी संकेत प्राप्त करने पर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त बचाव उपकरण को तत्काल भेजा जाये। |

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शिक्षा | <ul style="list-style-type: none"> ● विभाग में क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन प्रशिक्षण और टीमों का गठन। ● जिले में शिक्षकों और छात्रों के लिए प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन कौशल में प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम पाठ्यक्रम में शामिल करें। ● स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम (एसएसपी) के तहत विभिन्न गतिविधियों को पूरा कर संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। |
| सी.एस.ई.बी. | <ul style="list-style-type: none"> ● जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से, पर्याप्त तैयारी की स्थिति बनाए रखने और त्वरित और कुशल आपदा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक अग्नि से संबंधित विद्युत उपकरणों की समय पर खरीद सुनिश्चित करें। |
| अग्नि सेवाएं | <ul style="list-style-type: none"> ● सभी जिला अधिकारियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण एवं समय-समय पर आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करना। ● विभिन्न सरकारी और नागरिक इमारतों की सुरक्षा लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना यह जांचने के लिए कि वे अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप हैं या नहीं। ● अग्निशमन और निकासी प्रक्रियाओं के लिए नियमित मॉक-ड्रिल होना चाहिए। |
| नागरिक सुरक्षा और नगर सेना | <ul style="list-style-type: none"> ● खोज और बचाव (एसएआर), प्राथमिक चिकित्सा, यातायात प्रबंधन, मृत शरीर प्रबंधन, निकासी, आश्रय और शिविर प्रबंधन, जन देखभाल और भीड़ प्रबंधन में स्वयंसेवकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● जिला प्रशासन के उपयुक्त चैनलों के माध्यम से खोज और बचाव उपकरणों की खरीद के लिए व्यवस्था करें। |
| आर.टी.ओ. | <ul style="list-style-type: none"> ● प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में ड्राइवरों, कंडक्टरों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● जिले में सभी वाहनों और डिपो में प्राथमिक चिकित्सा किटों और आग बुझाने वाले यंत्रों के रख-रखाव की पर्याप्त स्टॉकिंग सुनिश्चित करना। |
| स्वास्थ्य | <ul style="list-style-type: none"> ● विभाग में क्षति और आवश्यकता मूल्यांकन प्रशिक्षण और समूहों का गठन। ● मोबाइल मेडिकल समूह, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा समूहों, मनो-सामाजिक देखभाल समूहों तथा पैरामेडिक्स के त्वरित प्रतिक्रिया चिकित्सा समूहों (क्यूआरएमटी) के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। |

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● क्षेत्र और अस्पताल निदान इत्यादि के लिए पोर्टेबल उपकरणों की समय पर खरीद की व्यवस्था करें। ● प्राथमिक चिकित्सा और जीवन बचाने वाली तकनीकों में स्वास्थ्य परिचरों और एम्बुलेंस कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। ● स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं में स्थानीय समुदायों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। ● क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण उपायों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को पूरा करके संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण में वृद्धि। |
| पुलिस | <ul style="list-style-type: none"> ● जिला आपदा प्रबंधन के अंतर्गत प्रशिक्षित नगर सैनिकों की तैनाती। ● जिला में क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करें। |

तालिका 16 : प्रमुख विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

6.5 प्रशिक्षण और प्रशिक्षण प्रावधान

- किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करें और इसे कैसे प्रदान किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए –
- कर्मचारियों को आग उपकरण के उपयोग में प्रशिक्षित के रूप में पहचाना गया।
- फायर पैनल के उपयोग में प्रशिक्षित कर्मचारी के रूप में पहचाना गया।
- फायर मार्शल कर्तव्यों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी के रूप में पहचाना गया।
- असेंबली पॉइंट (पॉइंट्स) पर विजिटर्स को रजिस्टर करने के लिए स्टाफ की पहचान की गई।
- निकासी के प्रकार के लिए विशिष्ट कर्तव्यों के रूप में पहचाने गए कर्मचारी।
- सभी को सुनिश्चित करने की विधि यह समझती है कि फायर अलार्म को कैसे संचालित किया जाए।
- सभी को सुनिश्चित करने का तरीका अग्नि सुरक्षा के लिए पर्याप्त निर्देश और प्रशिक्षण है।
- आगंतुकों/ठेकेदारों को सुनिश्चित करने का तरीका आपातकालीन निकासी की स्थिति में प्रक्रियाओं पर पर्याप्त जानकारी है।

6.5.1 अग्नि सुरक्षा दल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण

आपदा प्रबंधन समितियों की क्षमता में वृद्धि, प्रशिक्षण और कौशल का विकास महत्वपूर्ण है। डीएमटी में सदस्यों के समूह शामिल हैं, जिसमें महिलाएं एवं पुरुष स्वयंसेवक होते हैं। अग्नि सुरक्षा जोखिम में कमी और शमन योजना के लिए प्रशिक्षण नियमित प्रक्रिया होना चाहिए। डीएमटी यकडज्द को जिला स्तर पर आपदा की स्थिति में खोज व बचाव और प्राथमिक चिकित्सा टीमों के लिए विशेष कार्य सौंपा जाता है।

6.6 सामुदायिक आधारित अग्नि आपदा प्रबंधन

समुदाय केवल विपत्तिग्रस्त होने के साथ-साथ किसी भी आपदा में पहला उतरदायी भी होता है। सामुदायिक क्षमता से किसी भी आपदा का निवारण किया जाता है। इसलिए समुदाय को रोकथाम शमन, तैयारी, प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, प्रतिक्रिया, राहत, वसूली यानी अल्पकालिक और दीर्घकालिक, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के साथ निकटता से जुड़ा होना चाहिए।

7. अग्नि सुरक्षा के राहत उपाय एवं प्रतिक्रिया

किसी भी जिले में फायर सर्विस सेटअप मुख्य रूप से जनसंख्या, प्रतिक्रिया समय और जोखिम खतरे के विश्लेषण पर आधारित है। जोखिम के खतरे के विश्लेषण की अनुपस्थिति में, किसी फायर स्टेशन पर आवश्यक उपकरणों पर निर्णय लेना अनुचित होगा। अग्नि सेवाओं से संबंधित विशेष उपकरण संभावित नुकसान के सही आकलन पर आधारित होना चाहिए। हालांकि, उपकरणों का एक निश्चित सेट है, जो प्रत्येक फायर स्टेशन में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। बढ़ते खतरों के आधार पर भी इस योजना की निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए और इस प्रकार इसे गतिशील बनाने की आवश्यकता है।

7.1 राहत व प्रतिक्रिया के चरण –

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| अग्नि दुर्घटना से पूर्व | आवश्यक तैयारी एवं चेतावनी प्रणाली |
| अग्नि दुर्घटना के दौरान | प्रथम प्रतिक्रिया – राहत |
| अग्नि दुर्घटनाोत्तर | राहत – समुत्थान |

तालिका 17 : राहत व प्रतिक्रिया के चरण

7.1.1 अग्नि दुर्घटना से पूर्व –

- अग्नि सुरक्षा अधिकारियों के नाम व संपर्क विवरण
- अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल
- फर्स्ट रेस्पॉड यूनिट का हाईअलर्ट
- अग्निशमन उपकरणों की एक स्थान पर उपलब्धता, नवीकरण एवं मरम्मत कार्य
- संचार प्रणाली को दुरुस्त करना
- पर्याप्त जल, दवा, आदि आवश्यक सामग्री का संग्रह
- जोखिमपूर्ण स्थलों, कार-मोटरसाइकल पार्किंग जैसे क्षेत्रों, को चिह्नित करना



प्रवाह चित्र 5: जिले की प्रस्तावित अग्नि दुर्घटनाओं से पूर्व चेतावनी प्रणाली

7.1.2 अग्नि दुर्घटना के दौरान राहत व प्रतिक्रिया

1. अग्नि तमन सेवा एंव फायर स्टे न से तत्काल सहायता
2. फर्स्ट रिस्पॉन्ड यूनिट की कार्रवाई
3. सर्च व रेस्क्यू टीम की कार्रवाई
4. राज्य सरकार व जिला प्रशासन का सक्रीय होना
5. क्रेन, बुलडोजर तथा आवश्यकतानुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण
6. आश्रय स्थलों तथा अस्पतालों में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था
7. शान्ति व्यवस्था बनाये रखना
8. राहत सामग्री की आपूर्ति
9. अग्नि दुर्घटना के बाद क्षति का आंकलन
10. अग्नि दुर्घटना पीड़ितों हेतु तत्काल राहत

7.1.3 जिले के सन्दर्भ में राहत व प्रतिक्रिया के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन


➤ प्रथम समुदाय प्रतिक्रियक

आकस्मिक अग्नि दुर्घटना के दौरान जन समुदाय फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करते हैं। जिले में विभिन्न जोखिम पूर्ण स्थानों पर रहने वाले तथा उनके आस पास रहने वाले समुदायों को अग्नि दुर्घटना के दौरान

फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य करने हेतु दक्ष करना आवश्यक है। इस हेतु उनका प्रशिक्षण तथा क्षमता संवर्धन आवश्यक है।

➤ राज्य सरकार/जिला प्रशासन का सक्रीय होना

समुदाय के पश्चात प्रथम रिस्पॉन्स देने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील व नगर पालिका/परिषद् की होती है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य व केन्द्र से भी सहयोग लिया जा सकता है। प्रशासनिक रिस्पॉन्स सिस्टम के विभिन्न चरण निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं –



प्रवाह चित्र 6 : प्रशासनिक रिस्पॉन्स सिस्टम के विभिन्न चरण

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एल - 0 | यह अग्नि दुर्घटना का सामान्य स्तर है जिसमें पूर्व तैयारी शामिल हैं। |
| एल - 1 | यह अग्नि दुर्घटना का वह स्तर होगा जो जिला स्तर पर ही प्रबंधित की जा सकेगी। |
| एल - 2 | यह अग्नि दुर्घटना का वह स्तर होगा जो राज्य स्तर के सहयोग से ही प्रबंधित किया जा सकेगा। |
| एल - 3 | यह अग्नि दुर्घटना का वह स्तर होगा जिसमें केन्द्र सरकार एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी। |

तालिका 18: IRTF के विभिन्न चरण

7.1.4 अग्नि दुर्घटना के पश्चात राहत व प्रतिक्रिया की स्थिति -

जिले में अग्नि दुर्घटना के पश्चात राहत व प्रतिक्रिया की अवस्था के निम्न चरण होंगे-

- विस्तृत हानि का आंकलन - इसके अर्न्तगत जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय स्तर पर सचिव, पटवारी, कोटवार, सरपंच के माध्यम से अग्नि दुर्घटना से हुई हानि का विस्तृत आंकलन करवाया जायेगा। इसके माध्यम से प्रभावित लोगों के पुनर्वास तथा आधारभूत संरचना की बहाली के लिए वित्तीय आवश्यकता का आंकलन किया जा सकेगा। आपदा से हुए नुकसान के साथ-साथ उसके कारण, आपदा प्रबंधन में रही कमियाँ आदि का भी रिकार्ड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा रखा जाएगा। जिससे भविष्य में पूर्व के अनुभवों का लाभ उठाया जा सके।
- प्रभावित लोगों का पुनर्वास।
- अग्नि दुर्घटना के पश्चात् सबसे बड़ी समस्या पुनर्वास की होती है।
 - राज्य सरकार द्वारा उचित आर्थिक सहायता दिलवाना।
 - राज्य सरकार द्वारा अग्नि दुर्घटना सुरक्षा के संबध में मानक निर्धारित कर क्रियान्वित करना।

8. पुनर्निर्माण और पुनर्वास के उपाय

8.1 पुनर्निर्माण और पुनर्वास

अग्नि दुर्घटना के पश्चात लोगों को पुनर्वास की आवश्यकता होती है। पुनर्वास लोगों को अग्नि दुर्घटना की स्थिति से पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटाने की प्रक्रिया है, इसमें अग्नि दुर्घटना से सहमें तथा भयभीत लोगों को मानसिक तथा भावनात्मक बल भी प्रदान किया जाता है।

पुनर्वास और पुनर्निर्माण की निम्नलिखित क्षेत्रों में आवश्यकता होगी –

- अग्नि दुर्घटना से प्रभावित इमारतों और घरों में,
- आर्थिक संपत्ति (वाणिज्यिक और कृषि गतिविधियों आदि)
- स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा।

अग्नि दुर्घटना से जन क्षति, पशु क्षति, मकान क्षति, फसल क्षति आदि नुकसान होना स्वाभाविक है। अतः अग्नि दुर्घटना के पश्चात पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य की आवश्यकता होती है।

8.2 रिकवरी गतिविधियां

8.2.1 अल्पकालिक रिकवरी

शॉर्ट टर्म रिकवरी चरण अग्नि दुर्घटना के दौरान तुरंत शुरू होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक सुविधाओं को पुनः स्थापित करना है। अल्पकालिक रिकवरी में निम्नलिखित शामिल है:

- अग्निशमन उपकरण
- संचार नेटवर्क
- पुनर्वास
- पीने के पानी की सप्लाई
- स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा
- खाद्य पदार्थ और कपड़े
- आश्रय और आवास

8.2.2 दीर्घकालिक रिकवरी

दीर्घकालिक रिकवरी में अग्नि दुर्घटनां प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक, पुनर्विकास और पुनः स्थापना सम्मिलित है। भविष्य में किसी भी अग्नि दुर्घटनां मामले में निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे:

- अग्नि दुर्घटनां से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं और सामाजिक सेवाओं के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण।
- अग्निशमन प्रशिक्षण और उत्कृष्टता।
- आधुनिक अग्निशमन उपकरण की उपलब्धता।
- पार्क, सिनेमा घर, मॉल इत्यादि स्थानों में अग्नि दुर्घटनां से बचाव के लिये पोस्टर एवं विज्ञापन।

8.3 पुनर्गठन (समुत्थान) –

इस प्रकार जिला कलेक्टर द्वारा नुकसान का आंकलन कर प्रभारी विभागों तथा उत्तरदायी व्यक्तियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश प्रदान किये जायेंगे। पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्यों हेतु अलग-अलग विभाग नोडल विभाग का कार्य करें।

| कार्य/पुनर्स्थापना | नोडल विभाग |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1. बचाव | नगर सेना/ नगर पालिका/ नगर निगम |
| 2. चिकित्सा | चिकित्सा विभाग |
| 3. शिक्षा | शिक्षा विभाग |
| 4. दूरसंचार | जिला दूरसंचार विभाग |
| 5. पेयजल | जिला स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग |
| 6. मलबा हटाना | नगर पालिका/ परिषद्/ निगम |

तालिका 19 – पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्य व नोडल विभाग/अधिकारी

पुनर्गठन अथवा पुनर्स्थापना के अर्न्तगत आवश्यक सेवाएँ सम्मिलित की जाती है। इसके अर्न्तगत आने वाली सेवाओं को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

- बुनियादी सेवाएँ – बुनियादी सेवाओं में जलापूर्ति, चिकित्सा आदि आती है। इन सेवाओं की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। सम्बन्धित विभागों तथा विशेष एजेंसियों व एनजीओ की सहायता से यह कार्य संभव है। जिलें में जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैंकरों से जलापूर्ति, अस्थायी टंकियों का निर्माण

आदि उपाय क्रियान्वित किये जायेंगे। आपदा के पश्चात् मलबा हटाने हेतु जेसीबी तथा ट्रेक्टरों आदि के लिए नगर परिषद् तथा निजी एजेंसियों की सहायता ली जावेगी।

- **अत्यावश्यक सेवाएँ** – ये सेवाएँ जीवन रेखा कही जाती हैं – जैसे चिकित्सा, संचार, परिवहन आदि। इन सेवाओं की पुनर्स्थापना अतिआवश्यक है, क्योंकि राहत तथा प्रत्याक्रमण इन्हीं सुविधाओं पर निर्भर है। सामान्यतः सामाजिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि बुनियादी अत्यावश्यक सेवाओं की पुनर्स्थापना कितनी जल्दी होती है क्योंकि इसके असफल होने पर अव्यवस्था, दंगे, पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिले में जिला कलेक्टर के आदेश व अनुशंसा पर विद्युत, संचार व परिवहन स्थापना हेतु क्रमशः – विद्युत वितरण निगम, दूरसंचार विभाग तथा परिवहन विभाग नोडल विभाग बनाये जायेंगे जो अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।

9. अग्नि दुर्घटना योजना हेतु वित्तीय संसाधन

9.1 केंद्र और राज्य द्वारा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता

अग्नि दुर्घटना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए नीति और फंडिंग प्रक्रिया स्पष्ट रूप से परियोजनाओं में सम्मिलित होती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त वित्त आयोग हर 5 साल में पुनर्निरीक्षण करता है। वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर राज्य में एक क्लैमिटी रिलीफ फंड स्थापित किया है, क्लैमिटी फंड का आकार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है इसमें 75 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार का और 25 प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का होता है।

13वें वित्त आयोग की सिफारिशों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट (2005) के अनुसार वर्ष 2010-11 में क्लैमिटी रिलीफ फंड का नाम स्टेट डिजास्टर रिसपॉस फंड (एसडीआरएफ) तथा नेशनल फंड (एनडीआरएफ) कर दिया गया है, तथा स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (एसडीएमएफ) की भी व्यवस्था की गई है। नुकसान का आकलन करने वाली मुख्य एजेंसी जिला प्रशासन है तथा इस काम में विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, गृह, चिकित्सा, पशुपालन, वन, जलापूर्ति, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, महिला एवं शिशु कल्याण आदि के कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं।

9.2 क्षमता वर्धन के लिए फंड

आपदा प्रबंधन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता वर्धन के लिए केंद्र सरकार ने 5 साल तक (वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15) 4 करोड़ सालाना देने का प्रावधान किया है यह धन अध्याय 6 में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा जन जागृति प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार में खर्च किया जावेगा।

9.3 राज्य द्वारा अन्य फंडिंग व्यवस्थाएं

उपरोक्त प्रावधानों के अलावा राज्य ने भी एक फंड स्थापित किया गया है जिसका नाम है छतीसगढ़ राहत कोष है, जिसके लिए शुरुआती तौर पर 6 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और आगामी वर्षों में इसमें 25 लाख रुपए सालाना डाले जाएंगे इस फंड का इस्तेमाल दुर्घटनाओं से पीड़ितों के बचाव एवं राहत कार्यों के लिए किया जाएगा।

9.4 बाह्य फंडिंग व्यवस्थाएं

अभी तक बाह्य स्रोतों जैसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से कुछ परियोजनाओं के लिए ही फंड जुटाने का प्रावधान है।

9.5 वित्तीय प्रावधान

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से बजट राशि उपलब्ध कराया जाता है। आपदा राहत हेतु केंद्र द्वारा निम्न दो मदों में राशि प्रदान की जाती है।

9.6 आपदा राहत निधि

आपदा राहत निधि के तहत सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा 21.12.2010 से राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है। जिसमें केंद्र का 75% व राज्य का 25% अंशदान होता है, केंद्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हुए हैं।

9.7 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि

आपदा से निपटना राज्य सरकार/आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर होने की स्थिति में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत विज्ञापन केंद्र सरकार को भेजा जाता है, जिस पर एक केंद्रीय दल द्वारा स्थिति का आकलन किया जाता है। केंद्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केंद्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।

9.8 राज्य आपदा मोचन निधि

राज्य में 14वें वित्त आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की पालन में राज्य आपदा मोचन निधि का सृजन किया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि में केंद्र का 75% व राज्य का 25% अंशदान होगा इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदंड अनुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिए ही किया जाएगा।

9.9 वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान

राज्य में आपदा प्रबंधन हेतु निवारण, तैयारी, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए वित्त की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार योजना के तहत करनी होगी। आपदा पूर्व तैयारी के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभागीय बजट में आपदा प्रबंधन हेतु प्रावधान करना सुनिश्चित करेगी।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन के तहत जोखिम बीमा जैसे वित्तीय साधनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा तथा फसल बीमा योजना, स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं को विकसित किया जायेगा। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाईयों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी संबंधित इकाई की होगी।

9.9.1 जिले के वित्तीय संसाधन

यद्यपि आपदा के समय व्यापक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो जिला स्तर पर सामान्यतया संभव नहीं हो पाती है। फिर भी तात्कालिक सहायता हेतु जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर दो प्रकार का राहत कोष बनाया जाएगा।

10. अग्नि सुरक्षा योजना का निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अद्यतीकरण

10.1 योजना का मूल्यांकन

अग्नि सुरक्षा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभ्यास, अग्नि दुर्घटनां के पश्चात प्रश्नावली आदि के संयोजन शामिल है, परिणामस्वरूप योजना में उल्लेखित लक्ष्यों, उद्देश्यों, निर्णयों, कार्यों का समय पर प्रभावी प्रतिक्रिया होगी।

- नगर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों को नियमित रूप से योजना और अभ्यास में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- नियमित रूप से योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा।
- जिले में किसी भी बड़ी अग्नि दुर्घटनां स्थिति के बाद योजना की प्रभावकारिता की जांच करना और उसके अनुसार योजना में संशोधन करना।
- भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) को योजना से जोड़े रखना तथा समय समय पर अद्यतन करना।
- जिम्मेदार कर्मियों और उनकी भूमिका का अर्ध-वार्षिक/ वार्षिक या जब भी परिवर्तन होता है का अद्यतन करना। नियमित रूप से संसाधनों के प्रभारी या नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क विवरण का अद्यतन करना।
- योजना सभी हितधारकों विभागों, एजेंसियों और संगठनों को प्रसारित की जानी चाहिए ताकि वे अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को जान सकें और अपनी योजना तैयार कर सकें।
- योजना के प्रभावकारिता का परीक्षण करने और विभिन्न विभागों और अन्य हितधारकों की तैयारी के स्तर की जांच के लिए नियमित अभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी दल अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से समझें और आबादी के आकार और कमजोर समूहों की जरूरतों को समझें।

10.2 योजना को बनाए रखने और समीक्षा, निरीक्षण व अद्यतीकरण का दायित्व

अग्नि सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन इस बात पर निर्भर करता है कि जमीनी स्तर पर योजना में उल्लेखित प्रणाली को किस स्तर तक प्रयोग में लाया जा रहा है। योजना के निरीक्षण व अद्यतीकरण में विभिन्न स्तर होंगे। जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर महोदय द्वारा की जायेगी। इस प्राधिकरण में आपदा प्रबंधन


प्राधिकरण प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पुलिस अधीक्षक, जिला कमांडेड, नगर सेना, नगर निगम आयुक्त / नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, विषय विशेषज्ञ शामिल किये जायेंगे। यह 8-10 सदस्यीय दल होगा तथा इसमें संख्या निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर का होगा।

10.3 मीडिया प्रबंधन

अग्नि दुर्घटना के मामले में, मीडिया संवाददाता बाहरी स्थिति का आकलन करते हैं पर इनसे अफवाह की भी स्थिति निर्मित होती है। इसलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिले द्वारा व्यवस्था की जाती है। आपदा की स्थिति में, जिला स्तर में केवल पीआर कार्यालय मीडिया के साथ संवाद करेगा और संक्षेप में डेटा प्रदान करेगा, कोई अन्य समांतर एजेंसी या ईएसएफ या आपदा प्रबंधन में शामिल स्वैच्छिक एजेंसी किसी भी प्रकार की प्रेस ब्रीफिंग नहीं देगी।

11. क्रियान्वयन हेतु समन्वय एवं समन्वित तंत्र

जिले में अग्नि दुर्घटना के समय सभी विभागों तथा एजेन्सियों के मध्य बेहतर तालमेल हेतु आवश्यक प्रयास किये जायेंगे। जिले द्वारा पूर्व में ही केन्द्र व राज्य स्तर पर तालमेल रखा जायेगा जो महत्वपूर्ण है। योजना के समन्वित क्रियान्वयन हेतु केन्द्र से लेकर स्थानीय स्तर तक का तंत्र निम्न प्रकार होता है



प्रवाह चित्र 7 : अग्नि दुर्घटना क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र

11.1 पड़ोसी जिलों के साथ समन्वय

प्रत्येक जिला अग्नि दुर्घटना के संदर्भ में सर्वसाधन सम्पन्न तथा क्षमतापूर्ण नहीं होता है। अग्नि दुर्घटना के समय प्रत्येक क्षण बाहरी सहायता की आवश्यकता भी हो सकती है।

अग्नि दुर्घटना प्रबंधन के संदर्भ में सर्वसाधन सम्पन्न नहीं होता है। आपदा के समय प्रत्येक क्षण बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है। इस हेतु ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में निकटस्थ जिलों तथा तहसीलों में उपलब्ध संसाधनों की सूची बेमेतरा जिला मुख्यालय पर रखी जायेगी। जिससे आवश्यकता पड़ने पर मदद ली जा सके। यहां ऐसे जिलों एवं राज्यों की सूची दी जा रही है जो निकटस्थ है तथा आपदा के समय तुरंत सहायता ली जा सके।

| क्षेत्र | निकटस्थ, जिला, राज्य क्षेत्र |
|-------------|-------------------------------|
| बेमेतरा | बलौदा बाजार, कबीरधाम, मुंगेली |
| बेरला | दुर्ग, रायपुर |
| साजा | दुर्ग, कबीरधाम, राजनंदगांव |
| थानखम्हरिया | कबीरधाम |
| नवागढ़ | बलोदा बाजार, मुंगेली |

तालिका 20 : तहसील अनुसार निकटस्थ जिले एवं राज्य जहां से सहायता ली जा सकती

12. मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चैकलिस्ट

12.1 मानक संचालन कार्यप्रणाली

जोखिम विश्लेषण के अनुसार अग्नि दुर्घटना एक प्रमुख आपदा है। जिले अग्नि दुर्घटना, जंगल की आग आदि जैसे अन्य सामान्य आपदाओं से ग्रस्त होते हैं। चूंकि जिले में मेला (मंडई) होने पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, इसलिए अव्यवस्था की संभावना होती है जिसके परिणामस्वरूप उत्सव के दौरान भगदड़, अग्नि दुर्घटनाये हो सकती हैं। इस तरह की अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यह मानक संचालन कार्यप्रणाली प्रस्तावित हैं ताकि अग्नि दुर्घटना जोखिम में कमी की जा सके और सुरक्षा में वृद्धि हो सके।

- इमारत में आग लगने से सीढ़ियों से बाहर निकले, लिफ्ट का प्रयोग न करें, मदद के लिए अग्नि शमन बचाव विभाग कामन पुलिस कंट्रोल नम्बर 112 पर मोबाइल/टेलीफोन से सम्पर्क करें। आग दुर्घटना के दौरान अग्नि शमन बचाव विभाग को बुलाएं इमारत अपार्टमेंट परिसर को निकटतम उपलब्ध निकास से खाली करें। यदि आपके कपड़े में आग लगी है तो न घबराए न दौड़ें, रुकें और रोल करें।
- गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें
धुएं और दम घुटने से बचने के लिये गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें कभी भी ऊंची इमारत के किनारे चढ़ने का प्रयास न करें और न कूदें क्योंकि इससे व्यक्ति की घायल या मृत्यु हो सकती है।
- भागिए मत
आग के दौरान, कार्बन मोनोऑक्साइड (सीओ) जैसे जहरीले गैसों धुएं में होती है। जब आप धुएं से भरे कमरे में भागते हैं, तो आप धुएं को तेजी से श्वास में लेते हैं। सीओ इंद्रियों को सुस्त करता है और सांस लेने में तकलीफ करता है, जिससे बचने के लिए गीले साफ कपड़े के साथ अपनी नाक और मुंह को ढकें।

12.2 अग्नि दुर्घटनाओं के लिए सावधानी पूर्वक उपाय एवं चैकलिस्ट

अस्पतालों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक भवनों आदि में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, धूम्रपान अलार्म या स्वचालित अग्नि का पता लगाने/अलार्म सिस्टम की स्थापना, निवासियों को आग की प्रारंभिक चेतावनी के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। आग दुर्घटनाओं को रोकने और गतिविधियों के दौरान आपात स्थिति की स्थिति को प्रबंधित करने और सावधानी बरतने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

- सभी आवासीय भवनों के लिए आपातकालीन निकासी योजनाएं या जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, अग्नि और सुरक्षा नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी।
- निकासी के समय में किए जाने वाले प्रक्रियाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित मोकड्रिल अभ्यास किए जाएंगे।
- विशेष रूप से आग बुझाने वाले यंत्र, चिकित्सा किट और मास्क रखने की सलाह दी जाएगी।
- नवीनतम जानकारी के साथ अद्यतन रखने के लिए रेडियो और विभिन्न मीडिया द्वारा प्रसारित संदेशों को सुनो।
- रेडियो या लाउडस्पीकर द्वारा दिए गए आधिकारिक निर्देशों को पूरा करें।
- एक पारिवारिक आपातकालीन किट तैयार रखें। विभिन्न प्रकार की आपातकाल परिस्थितियों में, सदैव तैयार रहना बेहतर है, सूचना प्राप्त करने के लिए ताकि सभी एक जगह एकत्रित हो सकें, और बहुत जल्द बचाव कार्य कर सकें।
- आंधी या तूफान होने में दरवाजे, खिड़कियां, और विद्युत कंडक्टर से दूर रहें, बिजली के उपकरणों और टेलीविजन प्लग निकाल दे किसी भी विद्युत उपकरण का उपयोग न करें।
- आग लगने के चरम स्थितियों में, सेना और वायु सेना बचाव अभियान आयोजित करती है। वे सड़कों को साफ करते हैं, मेडिकल टीम भेजते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद करते हैं। वायु सेना प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, पानी और कपड़े छोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन बड़े पैमाने पर आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करता है।

12.3 विभिन्न लाइन विभागों के लिए तैयार चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)

विभागवार तैयार चेकलिस्ट

| विभाग | तैयार चेकलिस्ट |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डी.डी.एम.ए. | <ul style="list-style-type: none"> सभी तहसीलों में नियमित निगरानी और अग्नि राहत में वितरण और विविधता के लिए डेटाबेस अद्यतन करना। अग्नि नियंत्रण कक्ष तैयार करना और तहसीलदार, सरपंच, पटवारी आदि के माध्यम से गांव के स्तर पर प्रारंभिक चेतावनी के लिए उचित तंत्र सुनिश्चित करना। पूरी तरह से कार्यात्मक संसाधनों और अग्नि बचाव उपकरणों की उपलब्धता के साथ डीईओसी के उचित कार्य पद्धति सुनिश्चित करें। महत्वपूर्ण और जीवन रक्षा बुनियादी ढांचे के डेटाबेस की तैयारी, निकासी के लिए सुरक्षित स्थान और जिले में अग्नि राहत शिविरों की अद्यतन सूची। |
| शिक्षा | <ul style="list-style-type: none"> छात्रों, शिक्षकों, प्रशासनिक कर्मचारियों और अन्य सहायकों के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करें। अग्नि आपात स्थिति में विभिन्न खतरों और सुरक्षित निकासी के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन कार्यक्रमों को केंद्रित करें। प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में अग्नि आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा किट की तैयारी। अग्नि आपात स्थिति के मामले में राहत आश्रय के रूप में कार्य करने वाली स्कूलों और कॉलेजों की पहचान करना। |
| सी.एस.ई.बी. | <ul style="list-style-type: none"> जिले में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का डेटाबेस तैयार करें और उन्हें आवश्यकता पूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार करें। प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर बिजली आपूर्ति के लिए और तत्काल प्रतिस्थापन/बिजली आपूर्ति प्रणाली के लिए प्रावधान करें। अग्नि निकास और रोशनी के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्रों में शॉर्ट नोटिस पर विद्युत कनेक्शन और सिस्टम प्रदान करना। |

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● जब भी आवश्यक हो तत्काल कार्रवाई के लिए ट्रांसफॉर्मर, खम्बों, कंडक्टर, केबल्स, इंसुलेटर इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करें। |
| अग्नि सेवाएं | <ul style="list-style-type: none"> ● अग्निशमन उपकरण, और श्वसन उपकरण की कार्यात्मकता तथा उपलब्धता सुनिश्चित करें। ● स्कूलों, अस्पतालों, अपार्टमेंट, मनोरंजन क्षेत्रों, मॉल, सिनेमाघरों जैसी सभी महत्वपूर्ण इमारतों में चमकते संकेत के साथ स्पष्ट और उचित स्केच किए गए मानचित्रों और चिन्हित निकासी मार्गों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, निकासी योजनाओं आदि के अनुसार नियमित निकासी अभ्यासों (evacuation plan) की व्यवस्था करें। ● निजी एजेंसियों और अग्नि शमन स्टेशन के साथ प्रदान की गई मौजूदा अग्निशामक सेवाओं और सुविधाओं का डेटाबेस बनाएं। |
| वन विभाग | <ul style="list-style-type: none"> ● अग्नि बचाव उपकरण और वाहनों की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। ● प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में होने वाली अग्नि से संबंधित घटनाओं का निरीक्षण करें। ● जंगल में लगने वाली आग के सम्बन्ध में जानवरों के लिए एक निकासी योजना तैयार करें। ● जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए टीम तैयार करें ताकि उन्हें रहने वाले क्षेत्रों, राहत शिविरों आदि में प्रवेश करने से रोका जा सके। |
| आर.टी.ओ. | <ul style="list-style-type: none"> ● आग बुझाने वाले यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट इत्यादि सहित वाहन और उपकरण की उचित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। ● उपकरण और वाहनों की त्वरित मरम्मत के लिए यांत्रिक टीम (Mechanical Team) तैयार करें, प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों के लिए प्रशिक्षित ड्राइवरों और कंडक्टर की उपलब्धता की जांच करें। ● अग्नि बचाव कार्यों के लिए वाहनों की पहचान करें और बड़े पैमाने पर निकासी, प्रतिक्रिया टीमों के परिवहन, राहत वस्तुओं, पीड़ितों आदि जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए वाहनों की त्वरित तैनाती के लिए तैयार करें। ● स्कूलों, कॉलेजों और अन्य निजी एजेंसियों के साथ उपलब्ध निजी अग्नि शामक |

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>वाहनों का डेटाबेस बनाएं, ताकि यदि आवश्यक हो, तो इसका उपयोग निकासी के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।</p> |
| स्वास्थ्य | <ul style="list-style-type: none"> ● अग्नि आपातकालीन साइटों पर प्रशिक्षित मेडिकल टीमों और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आवश्यक सामग्रियों को तैयार रखने के लिए पैरामेडिक्स की एक टीम तैयार करें। ● दवाइयों के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह, दवाइयों के स्टॉक की उपलब्धता, जीवन रक्षा उपकरण और पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर, पोर्टेबल एक्स-रे मशीन, पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, ट्रायेज टैग इत्यादि सहित पोर्टेबल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ● इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), निजी अस्पतालों और नर्सिंग होमों के साथ पंजीकृत डॉक्टरों का डेटाबेस तैयार करें जो सेवाओं और सुविधाओं के साथ उपलब्ध हों तथा इसे सालाना अपडेट करें। ● सरकार, निजी एजेंसियों और जिला रोटरी/लायंस क्लब से उपलब्ध एम्बुलेंस सेवाओं का डेटाबेस तैयार करें, यदि कोई हो। ● अग्नि आपदा प्रभावित क्षेत्र के पास अस्थायी अस्पतालों, मोबाइल सर्जिकल इकाइयों आदि की त्वरित स्थापना के लिए तैयारी रखें। |
| नगर पालिका | <ul style="list-style-type: none"> ● क्षेत्र में अग्नि के पश्चात की स्थितियों को देखते हुए स्वच्छता संचालन तैयार करें। ● उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अग्नि शिविरों, खाद्य केंद्रों और प्रभावित क्षेत्र में अपशिष्ट का निपटान करने के लिए अग्नि योजना तैयार करें। ● एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता की जांच करें। ● अग्नि आपातकाल के दौरान नियंत्रण कक्ष, चिकित्सा या आश्रय के लिए विभिन्न स्थानों पर भवन/गेस्ट हाउस प्रदान करने की योजना बनायें। |
| पुलिस | <ul style="list-style-type: none"> ● पुलिस स्टेशनों और पुलिस द्वारा विभिन्न खतरों की प्रारंभिक चेतावनी के लिए एक तंत्र (mechanism) विकसित करना। ● पर्यटक स्थानों, वार्षिक प्रदर्शनी और कुंभ मेला पर गार्ड की उपलब्धता की जांच करें जहां अग्नि से भगदड़ की संभावना हो। |

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ● विभाग में मौजूदा वायरलेस सिस्टम में किसी भी नुकसान के स्थिति में जिला और तहसीलों के बीच अस्थायी वायरलेस सिस्टम की स्थापना। ● शॉर्ट नोटिस पर आवश्यक साइट पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए पुलिस के संचार शाखा को प्रशिक्षित करें। ● आपात स्थिति, अन्य कानून और व्यवस्था के लिए आकस्मिक से अग्नि योजनाएं तैयार करें। ● प्रभावित समुदाय की संपत्ति की सुरक्षा के लिए गृह रक्षक और अन्य स्वयंसेवकों की तैनाती योजना तैयार करें। ● प्राथमिक चिकित्सा और बुनियादी जीवन बचत तकनीकों में पीसीआर वैन के पुलिस कर्मियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। ● अग्नि से मृत शरीरों के चोरी और झूठे दावों से बचने के लिए सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करें। ● अग्नि आपातकालीन/प्रभावित क्षेत्रों, अस्पताल, चिकित्सा केंद्र, और भोजन केंद्रों में बचाव और सुरक्षा की व्यवस्था करें। ● पुलिस नियंत्रण कक्ष में पुलिस, बीडीएस और कुत्ते दस्ते के आरक्षित बटालियनों के दूरभाष नंबर और डेटाबेस रखें। ● खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशामक आदि में प्रशिक्षित टीम तैयार करें। |
| जनसंपर्क | <ul style="list-style-type: none"> ● समुदाय में जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का वितरण सुनिश्चित करना। ● अफवाह नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उचित जन संपर्क प्रणाली तैयार करें। ● समय-समय पर जनता को जानकारी जारी करने के लिए मीडिया का प्रबंध करना, आपातकालीन संपर्क विभाग/कर्मियों का डेटाबेस तैयार रखें। ● जिले में सभी अग्नि संभावित खतरों के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं का डेटाबेस बना कर रखें। ● पुस्तकों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म शो, समाचार पत्र, वृत्तचित्र फिल्मों, मीटिंग इत्यादि के माध्यम से जानकारी को प्रचारित करें। |

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पी.डब्ल्यू.डी. | <ul style="list-style-type: none"> ● क्रेन, जेसीबी जैसे भारी अग्नि उपकरणों की उपलब्धता और कार्यप्रणाली का डेटा बेस तैयार करें । ● मलबे की निकासी, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पुल, पुलिया और फ्लाइओवर की मरम्मत सुनिश्चित करें ● प्रभावित क्षेत्र से यातायात को हटाने के लिए नई अस्थायी सड़कों का निर्माण, शॉर्ट नोटिस पर चिकित्सक, अस्थायी आश्रय आदि जैसी अस्थायी सुविधाएं जैसी योजनायें तैयार रखें। ● वी.आई.पी. यात्राओं के लिए प्रभावित साइट के पास हेलीपैड की तत्काल स्थापना। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों की बहाली सुनिश्चित करें। |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

तालिका 21 : विभिन्न लाइन विभागों के लिए चेकलिस्ट (एस.ओ.पी.)

12.4 आपातकालीन प्रतिक्रिया संसाधन

ए - विशेषज्ञ संसाधन

- अग्निशमन बचाव दल
- अग्निशमन उपकरण

बी- जनशक्ति

सी- चिकित्सा सहायता

- एम्बुलेंस (आपातकालीन दवाओं के साथ)
- डॉक्टर
- नर्स

डी- कानून और व्यवस्था एजेंसियां

- पुलिस / नगर सेना
- एसडीआरएफ / एनडीआरएफ
- सेना / वायु सेना (यदि आवश्यक हो)

ई - अन्य अनिवार्यताएं

- जल भंडारण टैंक
- स्वच्छता सुविधाओं के साथ अस्थायी आश्रय
- अस्थायी आम रसोई या खाद्य पैकेट

12.5 केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता

| क्रं. | कार्य | विभाग | मानक राहत स्तर व पुनर्वास |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | खाली करवाना (आवासीय व व्यवसायिक भवन) | पुलिस,नगर परिषद् | <ul style="list-style-type: none"> जोखिम पूर्ण भवनों को तुरंत खाली करवाना। व्यक्तियों तथा आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित स्थानों पर परिवहन। विस्थापित लोगों हेतु अस्थायी सुरक्षित आवास की व्यवस्था करना। |
| 2 | खोज व बचाव | पुलिस, NGOs,स्काउट, NSS,NCC,SDRF, नगर सेना | <ul style="list-style-type: none"> संकट में फंसे लोगों को बचाना व सुरक्षित स्थान पर भेजना। संकटग्रस्त पशुओं को बचाना। गुमशुदा व्यक्तियों की खोज। |
| 3 | प्रभावित क्षेत्र का सुरक्षा घेरा बनाना | पुलिस, नगर सेना SDRF | <ul style="list-style-type: none"> प्रभावित स्थल पर अनहोनी से बचने हेतु सुरक्षा घेरा बनाना ताकि भीड़ को आपदा स्थल से दूर रखा जा सके। |
| 4 | यातायात नियंत्रण | पुलिस, यातायात पुलिस, NGOs | <ul style="list-style-type: none"> प्रभावित स्थल के आस-पास वाहनों को न आने देना। राहत कार्य में लगे वाहनों को शीघ्र परिवहन हेतु व्यवस्था। आवश्यकता पड़ने पर वाहनों की व्यवस्था। |
| 5 | कानून व्यवस्था | पुलिस, नगर सेना SDRF | <ul style="list-style-type: none"> आपदा के समय भगदड़ आदि को रोकने की व्यवस्था। अफवाहों को रोकना। दंगों तथा लूटपाट को रोकना। प्रभावितों को जान माल की सुरक्षा। |

| | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | मृत देहों का निस्तारण | चिकित्सा विभाग, पुलिस, नगर परिषद | <ul style="list-style-type: none"> महामारी व प्रदूषण से बचने हेतु मृत देहों का तुरंत विस्थापन। मृत देहों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था। |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> रासायनिक या जैविक या महामारी की दशा में मृत देहों के पोस्टमार्टम की व्यवस्था। मृत लोगों को सन्दर्भ में उनके रिश्तेदारों को सूचित करना। |
| 7 | मलबे का निस्तारण | पुलिस, नगरपरिषद, प्रशासन SDRF | <ul style="list-style-type: none"> अत्यावश्यक सेवाओं के पुनः स्थापना हेतु मलबे को हटाना। मलबे को उचित स्थान पर डालना। मलबे को सावधानी पूर्वक हटाना जिससे मूल्यवान वस्तुओं व मृत देहों को नुकसान न हो। |

तालिका 22 : केन्द्र/राज्य सरकार से सहायता

| राज्य स्तर पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| क्र. | नाम | पद | कार्यालय का पता | संपर्क नंबर |
| 1 | अशोक जुनेजा, अतिरिक्त महानिदेशक | अतिरिक्त महानिदेशक | नगर सेना, अग्नि शमन एवं आपातकालीन सेवाए, छत्तीसगढ़, अटल नगर रायपुर | 07712512306 |
| 2 | जी एस. दर्रो, उपमहानिरीक्षक | उप महानिरीक्षक | | 07712249100 |
| 3 | परवेज कुरैशी उपपुलिस अधीक्षक, फायर | उप पुलिस अधीक्षक, फायर | | 07712512342 |

तालिका 23 : राज्य स्तर पर अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों का विवरण

जिला अग्नि सुरक्षा योजना, बेमेतरा (छ0ग0)

| जिला स्तर पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| क्र. | नाम | पद | कार्यालय का पता | संपर्क नम्बर |
| 1 | श्री एस.एन. बोरवणकर | जिला सेनानी | नगर सेना जिला बेमेतरा | 9424105191, 9827473637 |
| 2 | श्री अखिलेश पाराशर | एस.आई (एम) | नगर सेना जिला बेमेतरा | 9425557757 |
| 3 | श्री डी.एस.उईके | डिप्टी कलेक्टर | कार्या. कलेक्टर जिला बेमेतरा | 9425002577 |
| 4 | श्री संदीप ठाकुर | डिप्टी कलेक्टर | कार्या. कलेक्टर जिला बेमेतरा | 7587705154 |
| 5 | डी.आर. डाहिरे | डिप्टी कलेक्टर | कार्या. अ.वि.अ.(रा.) नवागढ़ | 8770095451 |
| 6 | श्री दुर्गेश वर्मा | डिप्टी कलेक्टर | कार्या. अ.वि.अ.(रा.) बेरला | 9826352436 |
| 7 | श्री जगन्नाथ वर्मा | डिप्टी कलेक्टर | कार्या. अ.वि.अ.(रा.) बेमेतरा | 9425585327 |
| 8 | श्री आशुतोष चतुर्वेदी | डिप्टी कलेक्टर | कार्या. अ.वि.अ.(रा.) साजा | 9425559945 |
| 9 | श्री होरीसिंह ठाकुर | मुख्य नगर पालिका अधिकारी | नगर पालिका परिषद् बेमेतरा | 9669292092 |
| 10 | श्री एस.एन. बोरवणकर | जिला सेनानी | नगर सेना कार्यालय जिला बेमेतरा | 9424105191, 9827473637 |
| 11 | श्री अखिलेश पाराशर | एस.आई (एम) | नगर सेना कार्यालय जिला बेमेतरा | 9425557757 |
| 12 | श्री बालाराम देवदास | सहायक ग्रेड-02 | कार्या. अ.वि.अ.(रा.) नवागढ़ | 9826798361 |
| 13 | श्री जागेश्वर महिलांगे | सहायक ग्रेड-03 | कार्या. कलेक्टर जिला बेमेतरा | 8109662298 |
| 14 | श्री निवास द्विवेदी | स्वच्छता निरीक्षक | नगर पालिका परिषद् बेमेतरा | 9340672204 |
| 15 | श्री यशवंत साहू | वाहन चालक | नगर पालिका परिषद् बेमेतरा | 9993601636 |
| 16 | श्री धनंजय साहू | प्लेसमेंट कर्मी | नगर पालिका परिषद् बेमेतरा | 9340777331 |
| 17 | श्री आर.एल.सुधाकर | मुख्य नगर पालिका अधिकारी | नगर पंचायत साजा | 9406024653 |
| 18 | श्री लोकेश शर्मा | उप अभियंता | नगर पंचायत साजा | 7746816068 |
| 19 | श्री रोहित कुमार साहू | वाहन चालक | नगर पंचायत साजा | 9144102724 |

तालिका 24: जिला स्तर पर अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों का विवरण

| तहसील स्तर पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का विवरण | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|
| क्र. | नाम | पद | कार्यालय का पता | संपर्क नम्बर |
| 1 | श्री अजय चंद्रवंशी | प्रभारी तहसीलदार | तहसील कार्यालय बेमेतरा | 99814.41740 |
| 2 | श्री राजकुमार मरावी (नायब) | नायब तहसीलदार | तहसील कार्यालय बेमेतरा | 91316.32587 |
| 3 | सुश्री हीरा गवर्ना | तहसीलदार | तहसील कार्यालय बेरला | 94792.63268 |
| 4 | श्री प्रफुल्ल रजक | प्रभारी तहसीलदार | तहसील कार्यालय साजा | 77730.08815 |
| 5 | सुश्री रेणुका रात्रे | तहसीलदार | तहसील कार्यालय नवागढ़ | 84356.54427 |
| 6 | श्री तारसिंह खरे | प्रभारी तहसीलदार | तहसील कार्यालय थानखम्हरिया | 91315.34309 |
| 7 | सुश्री चन्द्रिका साहू | स्टेनो-टायपिस्ट | तहसील कार्यालय साजा | 7974481104 |
| 8 | श्री जितेन्द्र राजपूत | स्टेनो-टायपिस्ट | तहसील कार्यालय नवागढ़ | 8965009180 |
| 9 | श्री परमेश्वर लाल निर्मलकर | सहायक ग्रेड-02 | तहसील कार्यालय बेरला | 8435049196 |

तालिका 25: तहसील स्तर पर अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों का विवरण

| अग्निशमन एवं आपातकालीन नियंत्रण सेवाएँ – नगर पालिका | | | |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|
| क्र. | जिला | स्थान | संपर्क नम्बर |
| 1 | बेमेतरा | पुलिस कन्ट्रोल कक्ष | 9479192013 |
| 2 | | नगर पालिका परिषद् बेमेतरा | 9340672204 |
| 3 | | पुलिस कन्ट्रोल कक्ष थाना नवागढ़ | 9993198511 |
| 4 | | कार्यालय नगर पंचायत नवागढ़ | 9977515256 |
| 5 | | कार्यालय नगर पंचायत साजा | 9406024653 |
| 6 | | पुलिस कन्ट्रोल रूम चौकी देवकर | 9479192064 |
| 7 | | कार्यालय नगर पंचायत देवकर | 7000540871 |
| 8 | | पुलिस चौकी मारो | 9479192071 |
| 9 | | नगर पंचायत मारो | 8319916277 |
| 10 | | पुलिस थाना परपोड़ी | 9770114728 |

तालिका 26: अग्नि-शमन एवं आपातकालीन नियंत्रण सेवाएँ-नगर पालिका सहायता सेवाओं का विवरण

जिला अग्नि सुरक्षा योजना, बेमेतरा (छ0ग0)

| जिलों के संचालित उद्योगों में उपलब्ध अग्निशमन एवं आपातकालीन सहायता सेवाओं की सूची | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| क्र. | जिला | तहसील | उद्योगों का नाम | अग्निशमन सेवाओं की उपलब्धता हाँ/नहीं | संपर्क नम्बर |
| 1 | बेमेतरा | बेमेतरा | मे. श्री श्याम कृपा सीमेंट प्रोडक्ट्स, ग्राम-गुनरबोड़, तहसील व जिला-बेमेतरा | - | श्री राहुल अग्रवाल 8085895050 |
| 2 | | बेमेतरा | मे. महालक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, ग्राम-दाढ़ी, तहसील-बेमेतरा, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री छन्नू गुप्ता 7898868483, 8109312591 |
| 3 | | बेमेतरा | मे. हरि ओम फ्लाइ एश ब्रिक्स, ग्राम-धनगांव, तहसील व जिला-बेमेतरा | - | श्री दिलीप अवस्थी 9981679945, 9755177920 |
| 4 | | बेमेतरा | मे. अग्रसेन कांक््रीट प्रोडक्ट्स, नवागढ़ रोड, बेमेतरा, तहसील व जिला-बेमेतरा, | - | |
| 5 | | बेमेतरा | मे. हिमानी ब्रिक्स, ग्राम-कोबियाभाठा, तहसील व जिला-बेमेतरा | - | श्री कोमल चंद जैन 7869263997 |
| 6 | | बेमेतरा | मे. यश एग्रो प्रोडक्ट्स यूनिट-2, ग्राम-लोलेसरा, तहसील व जिला-बेमेतरा, | - | श्री अमर चंद गिलड़ा 9425561541, 9300297555 |
| 7 | | बेमेतरा | मे. वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री राकेश द्विवेदी 92425568511 |
| 8 | | बेमेतरा | मे. सिंह ब्रिक्स वर्क्स, ग्राम-जेवरा, पोस्ट-जिया, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री उदय भास्कर सिंह 7389160032 |
| 9 | | बेमेतरा | मे. लक्ष्मी राईस मिल, ग्राम-बेमेतरा, तहसील व जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री अमित माहेश्वरी 8380093319 |
| 1 | | बेमेतरा | मे. नटवर इंटरप्राईजेस, | - | श्री नटवर |

जिला अग्नि सुरक्षा योजना, बेमेतरा (छ0ग0)

| | | | | |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|
| | | ग्राम-दाढी, तहसील व जिला-बेमेतरा, छ.ग. | | सिंघानिया 9329677110 |
| 11 | बेमेतरा | मे. साहू फलाई एश ब्रिक्स, ग्राम-जेवरी, पोस्ट-बीजाभाठ, तहसील व जिला-बेमेतरा | - | श्री द्वारिका साहू 8109434395 |
| 12 | बेमेतरा | मे. श्री सालासार वेयर हाउस, ग्राम-चारभाठा, तहसील व जिला-बेमेतरा, | - | श्रीमती चंचल मुंदड़ा 7000637322 |
| 13 | बेमेतरा | मे. उमंग ट्रेडर्स, ग्राम-लोलेसरा, तहसील-बेमेतरा, जिला-बेमेतरा | - | श्री ईश्वर चंदक 9893250853 |
| 14 | बेमेतरा | मे. जे.के. प्रोडक्ट्स, ग्राम-गुनरबोड़, तहसील व जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री जोगेन्द्र कुमार छाबड़ा 9425562401 |
| 15 | बेमेतरा | मे. ओम साई राईस मिल, ग्राम- अतरिया, तहसील व जिला-बेमेतरा, | - | श्री मिथलेश कुमार सिन्हा 8959900095 |
| 16 | बेमेतरा | मेसर्स विभा राईस मिल ग्राम-मटका, जिला बेमेतरा | - | श्रीमती द्रोपती यदु 9098178261 |
| 17 | बेमेतरा | मेसर्स भद्रकाली राइस मिल ग्राम अमोरा बेमेतरा छ0ग0 | - | श्रीमती रेणुका शर्मा 9425561310 |
| 18 | बेमेतरा | मे0 लक्ष्मी राईस मिल युनिट-2 गुनरबोड बेमेतरा | - | श्री अमित माहेश्वरी 8446043319 |
| 19 | बेमेतरा | मे0 शर्मा राईस मिल चोरभटठी बेमेतरा | - | श्री विजय शर्मा 7049098594 |
| 20 | बेमेतरा | मेसर्स निषाद मुरा फ़ैक्ट्री मोहेरेंगा बेमेतरा | - | श्री रेवा राम निषाद 9977083023 |
| 21 | बेमेतरा | मे0 अग्रसेन एग्रो, नवागढ़ रोड, पिकरी, बेमेतरा | - | श्री राहुल अग्रवाल |

जिला अग्नि सुरक्षा योजना, बेमेतरा (छ0ग0)

| | | | | |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|
| | | | | 9977299776 |
| 22 | बेमेतरा | मे0 ओम ट्रेडर्स, कोबिया, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती संगीता डागा 8889884121 |
| 23 | बेमेतरा | मे0 बोलबम राईस मिल, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा | - | श्री सुनिल कुमार डागा 9893935002 |
| 24 | बेमेतरा | मे0 जैन फलाई ए 1 ब्रिक्स, कोबिया, जिला-बेमेतरा | - | श्री कोमल चंद जैन 9424111737 |
| 25 | बेमेतरा | मे0 सालासर फूड प्रोडक्ट्स, ग्राम-चारभाठा, तह. व जिला-बेमेतरा | - | श्री चंद्रप्रकाश मुंदड़ा 9424100822 |
| 26 | बेमेतरा | यश फूड प्रोडक्ट्स, ग्राम- भोइनाभाठा, तह. व जिला-बेमेतरा | - | श्री संदीप गिल 7015360534 |
| 27 | बेमेतरा | मे0 श्री श्याम कृपा सीमेंट प्रोडक्ट्स, ग्राम गुनरबोड़, तह. व जिला-बेमेतरा | - | श्री राहुल अग्रवाल 8085895050 |
| 28 | बेमेतरा | मे0 मंगलम फेंसिंग पोल, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती पूजा अग्रवाल 7869244200 |
| 29 | बेमेतरा | मे0 श्री श्याम शक्ति राईस मिल यूनिट-3, वार्ड न. 01 पिकरी, तह. व जिला-बेमेतरा | - | श्री श्रवण अग्रवाल 7999648954 |
| 30 | बेमेतरा | मे0 आशीर्वाद इण्डस्ट्रीज यूनिट-2, ग्राम- लोलेसरा, तह. व जिला-बेमेतरा | - | श्री सुनिल कुमार गिल्डा 7000263146 |
| 31 | बेमेतरा | मे0 अथर्व एग्रो प्रोडक्ट्स, ग्राम- पथर्रा, तह. व जिला-बेमेतरा | - | श्री आशीष अग्रवाल 9993492242 |
| 32 | बेमेतरा | मे0 श्री विनायक एग्रो, ग्राम-ताला, तह. व जिला-बेमेतरा | - | श्री राहुल अग्रवाल 9425514325 |

जिला अग्नि सुरक्षा योजना, बेमेतरा (छ0ग0)

| | | | | |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|
| 33 | नवागढ़ | मे. सतगुरु ट्रेडर्स, ग्राम-पटनाकांपा, तहसील-नवागढ़, जिला-बेमेतरा | - | श्री हरिकिशन कुर्रे |
| | | | | 9407672260 |
| 1 | नवागढ़ | मे. कमला फलाई एश ब्रिक्स, ग्राम-झाल, तहसील-नवागढ़, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्रीमती कमला अनंत |
| | | | | 9977861637 |
| 2 | नवागढ़ | मे. प्रिंस एण्ड प्रिंसी फलाई एश ब्रिक्स, वार्ड क्रं. 02, सुकुलपारा, नवागढ़, जिला-बेमेतरा | - | श्री अविनाशधर |
| | | | | 8305441004 |
| 3 | नवागढ़ | मे. श्री साई भोग, मातापारा, नवागढ़, तहसील-नवागढ़, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री लाखन सिंह |
| | | | | 7000344232 |
| 4 | नवागढ़ | मे. दीवान वेयर हाउस, वार्ड नं. 02, सुकुलपारा, नवागढ़, तहसील-नवागढ़, जिला-बेमेतरा, | - | श्री विकासधर दीवान |
| | | | | 9669412719 |
| 5 | नवागढ़ | मे.तरु फूड इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कुरा, तहसील-नांदघाट, जिला-बेमेतरा, | - | श्री तरु शुक्ला |
| | | | | 9009184000 |
| 6 | नवागढ़ | मे. गुरुनानक राईस मिल, ग्राम- साल्हेघोरी, नवागढ़, जिला-बेमेतरा, | - | श्री जगजीत सिंह गांधी |
| | | | | 9300734335 |
| 7 | नवागढ़ | मे0 कमला फलाई ए 1 ब्रिक्स यूनिट-2, ग्राम-झाल, तह.-नवागढ़, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती कमला अनंत |
| | | | | 9977861637 |
| 8 | नवागढ़ | मे0 देव ट्रेडर्स, ग्राम-छेरकापुर, तह.-नवागढ़, जिला-बेमेतरा | - | श्री देवादास चतुर्वेदी |
| | | | | 9977229051 |
| 9 | नवागढ़ | मे0 श्री साई ब्रिक्स, वार्ड नं. 01 मातापारा नवागढ़, तह. नवागढ़, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती सिलसिला कुर्रे |
| | | | | 9770750146 |
| 10 | नवागढ़ | मे0 श्री कबीर फलाई एस ब्रिक्स, ग्राम- नारायणपुर, | - | श्री सुशील कुमार साहू |

जिला अग्नि सुरक्षा योजना, बेमेतरा (छ0ग0)

| | | | | |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|
| | | तह. नवागढ़, जिला-बेमेतरा | | 9826474260 |
| 11 | नवागढ़ | मे0 भौर्या फ्लार्ड ए 1 ब्रिक्स, ग्राम- संबलपुर, तह. -नवागढ़, जिला-बेमेतरा | - | श्री अंजू बघेल 9826669213 |
| 1 | साजा | मे. श्री माधव ब्रिकेट्स, उमरावनगर, मेन रोड, थानखम्हरिया, तहसील-साजा, जिला-बेमेतरा | - | श्री हितेश अग्रवाल 9425558299 |
| 2 | साजा | मे. द्विवेदी वेल्लिंग वर्क्स, ग्राम-देवकर, तहसील-साजा, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री दिनेश द्विवेदी 9425568511 |
| 3 | साजा | मे0 सोहन वेयर हाऊस, ग्राम- देवकर, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा | - | श्री मोहन जैन 9424109626 |
| 4 | साजा | मे0 ि एवम ट्रेडर्स, ग्राम-परपोड़ी, तह.-साजा, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती प्रीतिबाला देवांगन 8878295179 |
| 5 | साजा | मे0 एवी फिश फीड मिल, ग्राम- देउरगांव, तह. साजा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) | - | पुरुषोत्तम चौबे 9424123344 |
| 6 | बेरला | मे. नवदुर्गा पेपर एण्ड पल्स, ग्राम-नेवनारा,तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री मंगतूराम अग्रवाल 9993571909, 0771-4044167 |
| 7 | बेरला | मे. सुराना खाण्डसारी प्रोडक्ट्स प्रा. लि. कोल्ड स्टोरेज यूनिट-2, ग्राम कण्डरका, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री रोहित चंद सुराना 7882325128, 9425235128 |
| 8 | बेरला | मे. वाकांग्री ब्रिक्स, ग्राम-बहुनवागांव, तहसील व जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | |
| 9 | बेरला | मे. कपिल आईस क्रीम, ग्राम-बेरला, तहसील-बेरला, | - | श्री कपिल देवांगन |

जिला अग्नि सुरक्षा योजना, बेमेतरा (छ0ग0)

| | | | | |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| | | जिला-बेमेतरा | | 9977263373 |
| 10 | बेरला | मे. सूरी राईस मिल, ग्राम-कुसमी, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती मीनाक्षी सुरी 8225800111 |
| 11 | बेरला | मे. सूर्या कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-कण्डरका, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | श्री सिद्धार्थ त्रेहान 9329112413 |
| 12 | बेरला | मे. डी.डी. राईस मिल ग्राम-कुसमी, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा | - | श्री कुलदीप कुमार 9977847073 |
| 13 | बेरला | मे. सुशांत पॉलीट्री प्रा. लि., ग्राम-कुसमी, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा, छ.ग. | - | |
| 14 | बेरला | मे. अनिका फूड एण्ड बेवरेजस, ग्राम- कण्डरका, तहसील-बेरला, जिला-बेमेतरा | - | श्री आलोक सिंह 9753277777 |
| 15 | बेरला | मे0 हनुमंत राईस मिल ग्राम खम्हरिया बेरला जिला बेमेतरा | - | श्री नारद सिंह राजपूत 9424125827 |
| 16 | बेरला | मे0 पटेल ब्रिक्स एवं पोल इंस्ट्रीज, ग्राम-गोड़गिरि, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा | - | |
| 17 | बेरला | मे0 श्री शांति इण्डस्ट्रीज, ग्राम- हरदी, तह. बेरला, जिला-बेमेतरा (छ0ग0) | - | श्री उदय राज सिंघानिया 9111121222 |
| 18 | बेरला | मे0 एस.एस. इण्टरप्राईजेस, ग्राम- रॉका, तह. बेरला, जिला-बेमेतरा | - | श्री करीम खान 9111455556 |
| 19 | बेरला | मे0 टोरसो पाईप्स, ग्राम-कण्डरका, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा | - | श्री अंकित द्विवेदी 9770440001 |
| 20 | बेरला | मे0 डुमरी एग्रोटेक, ग्राम-अकोली, तह. बेरला, | - | श्रीमती शोभा गुप्ता |

जिला अग्नि सुरक्षा योजना, बेमेतरा (छ0ग0)

| | | | | |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| | | जिला-बेमेतरा | | 7000442813 |
| 21 | बेरला | मे0 शुभम एग्रो प्रोडक्ट्स, ग्राम- घोटमर्रा, तह. बेरला, जिला- बेमेतरा | - | श्री शुभम जैन 9098985182 |
| 22 | बेरला | मे0 देवलीला कोल्ड एण्ड फूड्स यूनिट-2, ग्राम-कण्डरका, तह.-बेरला, जिला-बेमेतरा | - | श्री पीयूष सुराना 9009703000 |
| 23 | बेरला | मे0 नेहा ब्रिक्स, ग्राम-बहेरा, तह. बेरला, जिला-बेमेतरा | - | श्री निलेश माहेश्वरी 7828521760 |
| 24 | बेरला | मे0 देवलीला कोल्ड एण्ड फूड्स ग्राम-कण्डरका, तह. -बेरला, जिला-बेमेतरा | - | श्री पीयूष सुराना 9752108000 |
| 1 | थानखम्हरिया | मे. राजशी फूड प्रोडक्ट्स, ग्राम- कारेसरा, तहसील-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्री संजीव लखोटिया 9993241388 |
| 2 | थानखम्हरिया | मे. पटेल राईस मिल, वार्ड नं. 4, ग्राम-सौरी, थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा, | - | श्री भूपेश्वर पटेल 9926183222 |
| 3 | थानखम्हरिया | मे. श्री देव राईस मिल, ग्राम-टिपनी, वि.ख थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा, | - | श्री चंद्रशेखर पाण्डे 9589355061 |
| 4 | थानखम्हरिया | मे. जी.एम. मिश्रा फलाई एश ब्रिक्स, ग्राम-ग्वारा, थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती मंजूला मिश्रा 9179772809 |
| 5 | थानखम्हरिया | मे0 जयदुर्गा फूड्स, ग्राम-टिपनी, तह. -थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती नीलम बिंदल 9993199552 |
| 6 | थानखम्हरिया | मे0 पुरुषोत्तम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-टिपनी, तह. थान-खम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्री चंदन लाल अग्रवाल 9406009555 |

जिला अग्नि सुरक्षा योजना, बेमेतरा (छ0ग0)

| | | | | |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|
| 7 | थानखम्हरिया | मे. सिन्हा राईस मिलिंग, ग्राम- सैगोना, तहसील-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्री जितेन्द्र कुमार सिन्हा |
| | | | | 8815256688 |
| 8 | थानखम्हरिया | मेसर्स श्री मंगला राईस मिल ग्राम कुरदा थानखम्हरिया जिला बेमेतरा | - | श्री धनराज अग्रवाल |
| | | | | 9424200870 |
| 9 | थानखम्हरिया | मे0 श्री अग्रवाल ब्रिक्स एण्ड फेंसिंग,ग्राम टीपनी थानखम्हरिया | - | श्री रौनक अग्रवाल |
| | | | | 8770539400 |
| 1 | थानखम्हरिया | मे0 राहूल राईस प्रोडक्ट्स, ग्राम-सौरी, तह-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्री श्याम सुंदर वर्मा |
| | | | | 9826683728 |
| 11 | थानखम्हरिया | मे0 माँ कामाख्या राईस मिल, ग्राम-थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती सपना सिंघानिया |
| | | | | 7000439773 |
| 12 | थानखम्हरिया | मे0 शिवशंकर पाईप इण्डस्ट्रीज एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, ग्राम-ओड़िया, तह. थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्रीमती सुनिता कुमारी यादव |
| | | | | 9261460000 |
| 13 | थानखम्हरिया | मे0 जयपाटे वर राईस इण्डस्ट्रीज यूनिट-2, ग्राम-कारेसरा, तह. -थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्री खेमलाल सिन्हा |
| | | | | 8770683153 |
| 14 | थानखम्हरिया | मे0 जय पाटेश्वर राईस इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कारेसरा, तह. थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा | - | श्री खेमलाल सिन्हा |
| | | | | 8966002696 |

तालिका 27: जिलों के संचालित उद्योगों में उपलब्ध अग्नि-शमन एवं आपातकालीन सहायता सेवाओं की सूची

| अग्निशमन विशेषज्ञ/प्रशिक्षित होम गार्ड आदि का विवरण | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| क्र. | कर्मचारी का नाम | प्रशि. का नाम | मोबाईल नम्बर |
| 1 | भुनेश्वर | बाढ़/फायर | 9754455763 |
| 2 | मनहरण | बाढ़/फायर | 9522149868 |
| 3 | अवधराम | फायर | 7389299840 |
| 4 | राजेन्द्र | फायर | 9926564754 |
| 5 | दुकलहा | फायर | 7067264445 |
| 6 | सुनील | फायर | 7049861440 |

तालिका 28 : अग्नि शमन विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित होम गार्ड अधिकारियों का विवरण

